राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांकः– प–15(1009) एग्रो.पालिसी/पी.एच.एम/वि.बोर्ड/18048–69 दिनांकः–07.02.2020

आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति एवं तदन्तर जारी योजना, 2019 से सम्बंधित अधिसूचना क्रमांक एफ.4 (44) कृषि/ग्रुप–2/2019 दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को जारी की जा चुकी है। इस नीति एवं योजना के त्वरित, सुगम, प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य में कृषि प्रसंस्करण व कृषि आधारभूत संरचना की नई परियोजनाओं की स्थापना, मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण हेतु पूँजी निवेश, ब्याज, विद्युत प्रभार, सोर ऊर्जा सयंत्र अनुदान दिये जाने, घरेलू व निर्यात व्यापार करने हेतु भाड़ा अनुदान तथा अन्य प्रोत्साहन व वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु एतद् द्वारा निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते है–

(अ) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के बिंदु संख्या 13.1 एवं योजना 2019 के बिन्दु संख्या 4 (अ) के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना/विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त करने के दिशा–निर्देश

उद्देश्य :– प्रसंस्करण के स्तर में वृद्वि करना, छीजत में कमी, मूल्य संवर्धन, कृषकों की आय में वृद्वि के साथ निर्यात को बढ़ावा देना योजना का मुख्य उद्देश्य हैं ताकि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। योजना कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण की नई इकाईयों की स्थापना के साथ–साथ वर्तमान में स्थापित इकाइयों के विस्तार, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विचारित हैं।

नीति में मुख्य प्रावधान :–

i. **कृषक या उनके संगठनों को सहायता** :– राज्य में परिशिष्ट (1) के अनुसार स्थापित की जाने वाली पात्र नई इकाईयों या वर्तमान इकाईयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन करने पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 50 प्रतिशत का अनुदान अधिकतम रुपये 100 लाख की सीमा तक अनुदान देय होगा।

ii. **(कृषक या उनके संगठन के अतिरिक्त) अन्य पात्र व्यक्ति को सहायता :** राज्य में परिशिष्ट (1) के अनुसार स्थापित की जाने वाली पात्र नई इकाईयों या वर्तमान इकाईयों को विस्तार एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन करने पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य पर किये गये व्यय पर 25 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख की सीमा तक अनुदान देय होगा।

iii. **राज्य सरकार द्वारा घोषित मेगाफूड पार्क/कृषि समूहों की इकाइयों तथा रीफर वाहन :–** प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन (MIDH), राष्ट्रीय बागवान बोर्ड, तथा केन्द्र सरकार की योजनाओं के तहत परिशिष्ट (1) में वर्णित राज्य में स्वीकृत एवं स्थापित पात्र नई इकाईयों को संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत पर 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान देय होगा। यह सीमा कृषक व उनके संगठनों के लिए 100 लाख रू. होगी।

iv. **ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र/एकत्रीकरण केन्द्र हेतु पूंजी अनुदान सहायताः**–राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/एकीकृत उद्यानिकी विकास मिशन/खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार/एकीकृत कृषि विपणन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत फल व सब्जी की परियोजनाओं या राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य वस्तुओं/क्रियाकलापों के लिए स्वीकृत पात्र परियोजनाओं के अन्तर्गत नई इकाई स्थापना पर प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्यों के व्यय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम रुपये 50 लाख तक का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनुदान देय होगा। यह सीमा कृषक या उनके संगठनों के लिये 100 लाख रूपये होगी।

v. **बिन्दु संख्या (i) एवं (ii)** के अंतर्गत अनुदान का प्रावधान उपरोक्त **बिन्दु संख्या (iii) एवं (iv)** के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना को देय नहीं होगा।

पात्र व्यक्ति एवं संस्थाए :– कोई भी व्यक्ति, कृषकों/उत्पादकों के समूह, कृषक उत्पादक संगठन/कृषक उत्पादक कम्पनी जो संबंधित कम्पनी अधिनियमों/सहकारी समिति अधिनियम/सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और जिसमें किसान सदस्यों की न्यूनतम संख्या 50 हो, भागीदारी/स्वत्वधारी फर्म/सीमित दायित्व भागीदारी फर्म, कम्पनियों, निगम, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियॉ, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में संलिप्त सहकारी विपणन संघ, इस नीति के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगे।

पात्र क्षेत्र :– कृषि क्षेत्र की सभी प्रमुख गतिविधियॉ इस योजना में सम्मिलित की गई हैं। योजना के **परिशिष्ट–(i)** में सूचिबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली सभी मुख्य गतिविधियां इस योजना के तहत देय लाभों के लिये पात्र होगी।

अपात्र क्षेत्र :– योजना के **परिशिष्ट–(ii)** में सूचीबद्ध गतिविधियाँ राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019 के तहत लाभों के लिये पात्र नहीं होगी।

अनुदान स्वीकृति की सामान्य शर्ते :–

1. **परिशिष्ट– (iii)** में दिये गए अयोग्य सामान/व्यय इस योजना के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश की गणना के लिये अमान्य होंगे।
2. आधारभूत संरचनात्मक परियोजनाओं हेतु संराचनात्मक मापदंड एवं प्रति इकाई लागत **परिशिष्ट–(xx)** के अनुसार सम्बिन्धित नियामक अथवा सलाहकारी संस्था द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार होगी।
3. कृषि उत्पाद को रखने के उद्वेश्य से 100 मै. टन से कम क्षमता के वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज परियोजनाए कृषक के खेत पर स्थापित करने पर संबंधित नियामक या सलाहकार संस्थाओं द्वारा जारी किये गये मापदण्डों की पालना करना आवश्यक नहीं होगी।
4. अगर परियोजना लीज पर लिए गए भूखण्ड पर स्थापित की जानी हैं तो लीज अवधि कम से कम 10 वर्ष की होगी तथा लीज डीड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
5. सभी अनुदान लॉक इन पीरियड़ 3 वर्ष के साथ क्रेटिड लिंक्ड बैक एन्डेड होगे एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानो/अधिसूचित बैंकों द्वारा वित्त पोषित इकाईयों को अनुदान देय होगा।

6. परियोजना प्रस्ताव बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल्यांकित (Appraised) होने चाहिए तथा सावधि ऋण भी स्वीकृत होना चाहिए।

7. जैसा कि अनुदान का समायोजन बैक एन्डेड हैं, बैंक द्वारा परियोजना की मूल्यांकित लागत मय अनुदान राशि लेकिन प्रमोटर की मार्जिन मनी को हटाकर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण का भुगतान किया जायेगा।

8. ऋण राशि का ऋण वापसी कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ब्याज सहित पूर्ण ऋण वापसी के साथ–2 कुल अनुदान का समायोजन हो सके लेकिन ऋण भुगतान की प्रथम किस्त जारी होने की तिथि से 3 वर्ष से पूर्व नहीं होना चाहिए।

9. अनुदान राशि ऋणदात्री संस्था द्वारा किताबों में प्रत्येक ग्राहक अनुसार पृथक खाता खोलकर सब्सिडी रिजर्व फन्ड अकाउन्ट (SRFA) में रखा जायेगा। अनुदान राशि के समतुल्य ऋण राशि पर अनुदान प्राप्ति की तिथि से कोई ब्याज देय नहीं होगा। वित्तीय संस्थाए सुनिश्चित करेगी कि अनुदान राशि SRF Account में रखी जाये न कि सावधि जमा राशि या बचत खातों आदि में रखी जाये।

10. यदि इकाई राज्य की एक से अधिक योजनाओं में पूंजी अनुदान की पात्र हैं तो आवेदक अनुदान या परिलाभ किसी एक योजना से ही ले सकता हैं।

11. जो इकाई राज्य में संचालित किसी भी योजना से पूंजी अनुदान का लाभ ले रही हैं उसे नीति के अन्तर्गत देय अतिरिक्त या बढ़ा हुआ अनुदान देय नहीं हैं।

12. भण्डारण संरचनात्मक परियोजनाओं सहित परियोजनायें जो विभिन्न दर से अनुदान की पात्र श्रेणियों के साथ जुड़वा मालिकाना हक रखते हैं उन्हें जो सबसे कम अनुदान हैं वह देय होगा।

13. यदि कोई अनुदान राशि वापसी का मामला उत्पन्न होता है एवं कोई वित्तीय संस्था/बैंक कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सूचना देने के 30 दिवस में अनुदान राशि वापस नहीं करता हैं तो बैंक/संस्था को देरी की अवधि के लिए सावधि ऋण पर देय ब्याज की दर से उस राशि पर ब्याज देना होगा। जो किसी भी हालत में प्रमोटर/उद्यमी से वसूल नहीं होगा।

14. बैंक वित्तीय संस्था टर्म लोन स्वीकृत करते समय परियोजना के मूल्याकंन के लिए स्वयं के मानदण्डों की पालना करेगी।

15. सभी लागू नियमों/कानूनों की पालना करना, परियोजना के निर्माण एवं संचालन हेतु आवश्यक सभी वांछित स्वीकृतियां सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना एवं परियोजना का बीमा कराना प्रमोटर की जिम्मेदारी होगी। प्रमोटर/उद्यमी द्वारा किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

16. संयुक्त जॉच कमेटी द्वारा निरीक्षण के समय पाई गई कमियों के बारे में प्रमोटर/उद्यमी को पालना हेतु सूचित करना आवश्यक होगा।

17. प्रमोटर/उद्यमी को अनुदान की अतिंम किस्त पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा बैंक से सत्यापन के पश्चात् ही जारी की जायेगी।

18. स्वीकृत परियोजना अथवा परियोजना के किसी घटक को छोड़ने/अस्वीकृत करने या परिवर्तन करने की स्थिति में प्रमोटर/उद्यमी उसके अनुदान की राशि लौटाने हेतु उत्तरदायी होगा।

परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय प्रमोटर/उद्यमी को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19. प्रमोटर/उद्यमी ऋण अवधि में परियोजना स्थल की भूमि एवं परियोजना को जिस उद्देश्य से अनुदान दिया गया है उस उद्देश्य से पृथक नहीं करेगा। प्रमोटर द्वारा ऋण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र/परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

1. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब–लिंक http://agriculture.rajasthan.gov.in./content/agriculture/en/RSAMB-dep/rajasthan-agro-processing-agri-business-and-agri-export-promotion.html. पर ऑन–लाईन पंजीकरण कराना होगा।
2. पंजीकरण के पश्चात् आवेदक को आगे के कॉलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।
3. अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित (save) करना होगा।
4. बैलेन्स शीट/वार्षिक प्रतिवेदन/क्रय या रोजगार संबंधी आंकड़े केवल वर्तमान में मौजूद उद्यमी द्वारा ही भरे/प्रस्तुत किये जाने हैं।
5. सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहॉ भी अपलोड किये जाने हैं विहित साइज में ही करें।
6. सभी सूचनाएं सफलता पूर्वक भरने के पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त करे। आवेदन पत्र (**परिशिष्ट–iv** के अनुसार) पर अपनी पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए सभी वांछित दस्तावेजों (**परिशिष्ट–v** के अनुसार) की स्वप्रमाणित प्रतियॉ या जहॉ आवश्यक हो नोटेरी से सत्यापित कराकर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिले के नोडल अधिकारी को ऑन–लाईन प्रस्तुत करने के 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। जिला मुख्यालय स्थित मंडी समिति का सचिव जिले का नोडल अधिकारी होगा।

अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया :–

i. प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त जिला नोडल अधिकारी दस्तावेंजो की चैक लिस्ट के अनुसार जांच कर आवेदक को रसीद एवं सामान्य निर्देश प्रमोटर/उद्यमी को देगा **परिशिष्ट–(xxi)**।

ii. जिला नोडल अधिकारी आवेदक की विश्वसनियता, प्रार्थना–पत्र में दिए गए तथ्यों, परियोजना स्थल के अंक्षाश व देशान्तर, बैंक ऋण स्वीकृति विवरण को 15 दिवस में सत्यापित करेगा।

iii. तथ्यों के सत्यापन करने एवं प्रार्थना पत्र पूर्ण पाये जाने जिला नोडल अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ पत्रावली जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृती समिति के सदस्य सचिव को भेजेगा।

iv. सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव हर प्रकार से योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप है।

v. सदस्य सचिव पूर्ण पत्रावली को अध्यक्ष जिला स्तरीय छानबीन व स्वीकृति (DLSC) के समक्ष समिति की बैठक की तिथि लेने हेतु प्रस्तुत करेगा।

vi. यदि प्रस्ताव DLSC की अधिकारिता में है तो वह उसे स्वीकृत/निस्तारित करेगी अन्यथा राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) को विचारार्थ अग्रेसित करेगी।

vii. DLSC की द्विमासिक बैठक इस अवधि में प्राप्त प्रस्तावों के निस्तारण हेतु आयोजित की जावेगी। यदि विचार योग्य आवेदनों को संख्या पर्याप्त है तो समिति के अध्यक्ष की अनुमति से आवेदकों को त्वरित लाभ देने हेतु प्रतिमाह बैठक आयोजित की जा सकती है।

viii. सक्षम समिति द्वारा नीति के अंतर्गत ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने के अधिकतम 60 दिवस में अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। सदस्य सचिव द्वारा स्वीकृति के 7 दिवस में परिशिष्ट –xiv में अनुदान स्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा।

ix. यदि योजना के दिशा–निर्देशानुसार प्रार्थना–पत्र अनुदान के लिए अपात्र पाया जाता हैं तो आवेदक को 15 दिन का सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा ।

x. जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति का निर्णय सुनवाई के 15 दिन में आवेदक को सूचित करना होगा।

xi. निर्धारित समय व्यतीत होने पर भी (DLSC) स्तर से प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं होता हैं तो प्रार्थना–पत्र स्वीकृति/निस्तारण हेतु (SLSC) को अग्रेषित करना होगा।

xii. यदि कोई आवेदक (DLSC) के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वह निर्णय की सूचना प्राप्ति के 90 दिन में (SLSC) को अपील कर सकता हैं।

xiii. भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बढ़ा हुआ अनुदान (10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान) हेतु वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो पूंजी अनुदान की तृतीय किस्त जारी करने के दौरान अपनायी जाती है।

xiv. SLSC द्वारा भी अनुदान स्वीकृति हेतु उक्तानुसार ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :–

i. समस्त प्रकरणों में चाहे अनुदान SLSC द्वारा स्वीकृत किया गया हो या DLSC द्वारा, अनुदान राशि DLSC के सदस्य सचिव द्वारा ही जारी की जायेगी।

ii. SLSC द्वारा अनुदान स्वीकृति के पश्चात् निर्णय की सूचना प्रमोटर को भेजी जायेगी एवं एक प्रति वित्तीय बैंक तथा DLSC के सदस्य सचिव को अनुदान राशि जारी करने हेतु भेजी जावेगी।

iii. DLSC द्वारा अनुदान स्वीकृत करने की स्थिति में अनुदान स्वीकृति के पश्चात् सम्बन्धित DLSC का सदस्य सचिव आवेदक को स्वीकृति पत्र जारी करेगा तथा प्रति वित्तीय बैंक एवं RSAMB मुख्यालय को प्रेषित करेगा।

iv. सदस्य सचिव (DLSC) को सभी प्रकार की अनुदान राशि रखने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक /राजस्थान राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में पृथक खाता संधारित करना होगा जिसका विवरण वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB) को राशि हस्तांतरण हेतु भेजना होगा।

v. DLSC के सदस्य सचिव को त्वरित अनुदान स्वीकृति जारी करने हेतु रिवोल्विंग फंड संधारित करने के लिए Lump-Sum राशि हस्तांतरित की जावेगी।

vi. सदस्य सचिव DLSC प्रत्येक लाभांवित का अधिकतम स्वीकृत, पात्र या वास्तवित एवं समय–समय पर जारी अनुदान का पृथक खाता योजना समयावधि में संधारित करेगा।

vii. सदस्य सचिव DLSC जारी किये गये अनुदान का विवरण एवं अनुदान कोष हेतु मांग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक परिशिष्ट–vi में बोर्ड के वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी को भिजवायेगा।

viii. पूंजी अनुदान मामले में सदस्य सचिव अनुदान स्वीकृति पत्र जारी करने के 7 दिवस में अनुदान राशि प्रमोटर के सावधि ऋण खाते से जुड़े SRF खाते में जमा करायेगा एवं ब्याज अनुदान, भाड़ा अनुदान व अन्य मामलों में अनुदान राशि चालू खाते में जमा करायेगा।

पूंजी अनुदान जारी/वितरण करना :–

अनुदान 3 किस्तों में जारी किया जायेगा।

अनुदान की प्रथम किस्त (40 प्रतिशत) जारी करना :–

i. प्रार्थना–पत्र एवं उपयुक्त दस्तावेजों तथा योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरुप संबंधित स्वीकृति समिति पात्र अनुदान राशि का निर्धारण करेगी।

ii. प्रथम किस्त में निर्धारित की गई पात्र अनुदान की 40 प्रतिशत राशि अग्रिम राशि के रूप में स्वीकृत एवं जारी की जायेगी तथा SRFA जो परियोजना से संबंधित प्रमोटर के सावधि ऋण से जुड़ा हैं में जमा की जायेगी।

अनुदान की द्वितीय किस्त (40 प्रतिशत) जारी करना :–

1. प्रमोटर द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ द्वितीय किस्त जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र सदस्य सचिव DLSC को प्रस्तुत करना होगा –

   i. वास्तुकार/मूल्य निर्धारक का प्रमाण पत्र–मद लागत अनुसार तकनीकी निर्माण कार्य का वास्तुकार/मूल्य निर्धारक (सिविल) द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र **परिशिष्ट – (ix)** ।

   ii. मद लागत अनुसार संयत्र एवं मशीनरी का विवरण जो वास्तुकार/मूल्य निर्धारक (मेकेनिकल) द्वारा प्रमाणित हो **परिशिष्ट– (x)**। संयत्र एवं मशीनरी की लागत रूपये 25 लाख से कम के मामलों में वास्तुकार/मूल्य निर्धारक (मेकेनिकल) के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं।

   iii. बैंक प्रमाण पत्र – प्रमोटर द्वारा 80 प्रतिशत मार्जिन मनी का उपयोग करने तथा बैंक द्वारा 80 प्रतिशत सावधि ऋण जारी करने का बैंक प्रमाण पत्र। रा.रा.कृ.वि. बोर्ड द्वारा जारी अनुदान राशि SRFA खाते में जमा रख ली गई हैं जिस पर अनुदान के समतुल्य ऋण राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जा रहा हैं तथा रा.रा.कृ.वि. बोर्ड द्वारा अनुदान राशि की द्वितीय किस्त जारी करने में बैंक को कोई आपत्ति नहीं हैं **परिशिष्ट –(xi)**

iv. चार्टेड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र – परियोजना पर वास्तविक व्यय, वित्तीय साधन, प्रमोटर की हिस्से की 80 प्रतिशत राशि तथा 80 प्रतिशत सावधि ऋण एवं अनुदान की प्रथम किस्त के वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट– (**xii A/B**)**

2. द्वितीय किस्त जारी करने से पूर्व सदस्य सचिव (DLSC) द्वारा भौतिक प्रगति कर सत्यापन करना होगा।

3. अनुदान की दूसरी किस्त राशि परियोजना का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना सुनिश्चित करने के बाद उद्यमी द्वारा उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जारी की जायेगी।

अनुदान की तीसरी व अतिंम किस्त (20 प्रतिशत) जारी करना :–

1. प्रमोटर को अनुदान राशि की तीसरी किस्त जारी करने हेतु **परिशिष्ट– (**vii**)** में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा –

   i. वास्तुकार/मूल्य निर्धारक के प्रमाण पत्र – मद/लागत अनुसार तकनीकी निर्माण कार्य जो वास्तुकार/मूल्य निर्धारक (Civil) द्वारा तथा मद एवं लागत अनुसार संयत्र एवं मशीनों का विवरण जो वास्तुकार/मूल्य निर्धारक (Mechanical) (यदि आवश्यक हो) का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट – (**ix & x**)**।

   ii. बैंक प्रमाण पत्र – बैंक द्वारा परियोजना पूर्ण होने एवं शत–प्रतिशत टर्म लोन जारी करने तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अनुदान की तीसरी किस्त जारी करने में बैंक का कोई एतराज नहीं होने का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट– (**xi**)**

   iii. चार्टेड अकाउटेन्ट का प्रमाण पत्र – परियोजना पर वास्तविक व्यय, वित्तीय संसाधन, 100 प्रतिशत प्रमोटर के हिस्से का उपयोग, 100 प्रतिशत सावधि ऋण जारी करने तथा अनुदान की द्वितीय किस्त का उपयोग करने का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट** – (xii (A/(B)))

   iv. उपयोगिता प्रमाण पत्र – निर्धारित प्रपत्र में चार्टेड अकाउटेन्ट द्वारा प्रमाणित एवं बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित, परियोजना के प्रमोटर/उद्यमी के हस्ताक्षर के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र **परिशिष्ट – (**xiii**)** ।

   v. नोटेरी द्वारा प्रमाणित 100/– रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल के स्टाम्प पेपर पर प्रमोटर/उद्यमी का शपथ–पत्र **परिशिष्ट – (**xviii**)** ।

   vi. संपूर्ण संरचनाओं एवं संयत्र तथा मशीनरी को दर्शातें हुए चार रंगीन फोटोग्राफ।

   vii. इकाई के सामने का स्पष्ट दिखायी देने वाले साईन बोर्ड के फोटोग्राफ जिसमें राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एवं एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति – 2019 के तहत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त लिखा हो।

   viii. कृषि उपज मंडी समिति के अनुज्ञा पत्र की प्रति।

   ix. कोल्ड स्टोरेज के बारे में ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

x. रीफर वैन क्रय करने के संबंध में अंतिम अनुदान राशि जारी करने के लिए प्रार्थना–पत्र के साथ निम्न दस्तावेंज प्रस्तुत करने होगें–

- परिवहन विभाग द्वारा जारी वाहन का पंजीकरण संख्या
- राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल का प्रमाण पत्र।
- चेसिस की डिलेवरी आदेश एवं इनवाईस।
- वाहन की आरसी।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र।
- इंश्योरेन्स की प्रति।

2. निम्न सदस्यों की संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।

- DLSC का सदस्य सचिव
- अधिशाषी अभियंता (कृषि विपणन बोर्ड)
- मंडी सचिव
- बैंक प्रतिनिधि

3. सदस्य सचिव DLSC द्वारा JIC के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर भौतिक सत्यापन हेतु भ्रमण आयोजित किया जावेगा।

4. JIC द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस में निरीक्षण किया जायेगा एवं उसी दिन परिशिष्ट–viii में निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जायेगी। कमेटी ब्याज हेतु पात्रता एवं विद्युत प्रभार अथवा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के अनुदान का भी निरीक्षण के दौरान सत्यापन करेगी एवं JIC की रिपोर्ट में अपनी अभिशंषा करेगी।

5. योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार वास्तावित लागत के सत्यापन के पश्चात् पात्र अनुदान राशि की प्रस्तावित/मुल्यांकित/वास्तविक लागत जो भी कम हो के आधार पर पुनः गणना की जायेगी।

6. यदि अंतिम देय अनुदान राशि में कोई परिवर्तन पाया जाता है तो सदस्य सचिव DLSC प्रस्ताव संशोधित स्वीकृति हेतु DLSC के समक्ष प्रस्तुत करेगा एवं यदि पूर्व में अनुदान SLSC द्वारा स्वीकृत है तो DLSC प्रस्ताव को SLSC को अग्रेसित करेगा।

7. DLSC के सदस्य सचिव द्वारा JIC की रिपोर्ट के पश्चात सक्षम समिति के निर्णय के अनुसार पात्र अनुदान राशि की अन्तिम व तीसरी किस्त जारी की जावेगी।

<u>भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत Top-Up अनुदान हेतु पात्र परियोजनाओं में अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत व जारी करने की प्रक्रिया</u>

1. अतिरिक्त अनुदान (टोप–अप अनुदान) स्वीकृति हेतु वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो कि पूंजी अनुदान स्वीकृति हेतु अपनाई गई है।

2. आवेदन पत्र के साथ **परिशिष्ट–5** में उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

3. अनुदान स्वीकृति हेतु तृतीय किस्त जारी करने के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया ही अपनाई जायेगी एवं संयुक्त निरीक्षण करना आवश्यक होगा। सदस्य सचिव द्वारा JIC की रिपोर्ट DLSC को प्रस्तुत की जायेगी।

परियोजना पूर्ण करने की अधिकतम अवधि – रूपये 100 लाख तक की परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि 18 माह तथा अधिक लागत की परियोजनाओं की अवधि 24 माह होगी। अवधि की गणना सावधि ऋण की प्रथम किस्त जारी होने की तिथि की जायेगी। उपयुक्त आधार पर DLSC द्वारा 6 माह का अवधि विस्तार अनुमत होगा परन्तु अधिकतम अनुमत अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से पात्र अनुदान राशि की कटौती की जायेगी। इससे अधिक विस्तार पर DLSC की अभिशंषा पर SLSC द्वारा विचारण किया जा सकता है परन्तु अधिकतम अनुमत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक माह हेतु 1 प्रतिशत अनुदान राशि की कटौती की जायेगी।

परिशिष्ट (i)

पात्र क्षेत्र

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होगें :

- फल और सब्जियों का प्रसंस्करण
- मसालों का प्रसंस्करण
- अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य उत्पाद
- तिलहन उत्पाद
- चावल और आटा पिसाई
- दाल प्रसंस्करण
- हर्बल (जड़ी–बूटी) औषधीय, फूल और सुगंधित उत्पाद
- लघु वन उपज प्रसंस्करण
- शहद प्रसंस्करण
- दूध प्रसंस्करण
- मांस (गौ मांस के अलावा), कूक्कट एवं मत्स्य प्रसंस्करण
- पशु आहार, मुर्गी दाना, मछली दाना आदि उत्पाद
- अखाद्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण
- अन्य कृषि एवं उद्यानिकी उत्पाद जिसमें भोज्य सुगन्ध तथा रंग, राल (Oleoresins) तथा मशरूम उत्पाद।
- कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाईयां
- ढांचागत परियोजनाएः– एकत्रीकरण/संग्रह केन्द्र वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य विकिरणन प्रसंस्करण संयत्र, शीत श्रृंखला, पैक हाउस, सरकार द्वारा घोषित पार्क, कृषि प्रसंस्करण समूह, रीफर वैन आदि

राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) नीति के अन्तर्गत राज्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति में सम्मिलित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

परिशिष्ट (ii)

अपात्र क्षेत्र

निम्नलिखित क्षेत्र राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत देय परिलाभ/अनुदान/छूट के लिए अपात्र होंगे :

- तंबाकू उत्पाद, तंबाकू मिश्रित पान मसाला, गुटखा एवं अन्य नशीले पदार्थ में किया गया निवेश
- बॉटलिंग या पैकेजिंग संयंत्र, जिसमें पीने योग्य मदिरा व बीयर एवं वातित पेय (Aerated Drinks) की बोतल बंदी /पैकेजिंग करना सम्मिलित हैं।
- गौ मांस प्रसंस्करण इकाई
- शीतल पेय के विनिर्माण, खनिज पानी/शुद्ध पानी और अन्य बोतलबंद/थैलीदार पानी का उत्पादन
- लकडी का विनिर्माण या आकार देना, सजावटी/उपष्कर निर्माण (Furniture) और लकड़ी व कॉर्क के उत्पादों का निर्माण
- जलाऊ लकड़ी और लकड़ी के कोयला का उत्पादन
- जहरीला पदार्थ प्रवाह नियंत्रण करने वाला संयंत्र रहित जहरीली गैस उत्सर्जन करने वाली प्रसंस्करण इकाई

इस नीति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) राज्य में कृषि व संबद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति में किसी भी क्षेत्र/उपक्षेत्र को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

पूंजी निवेश अनुदान हेतु अपात्र व्यय

1. जमीन की कीमत एवं विकास पर किया गया व्यय
2. प्राथमिक क्रियाकलापों पर किया गया व्यय (Pre operative expenses)
3. निर्माण कार्य के निम्न मदों पर व्यय–
   - i. कम्पाउंड वाल
   - ii. उपागमन सड़क/आंतरिक सड़कें
   - iii. प्रशासनिक या आवास भवन या विश्राम घर/अतिथि गृह
   - iv. जल–पान गृह
   - v. मजदूर विश्राम घर/आवास गृह
   - vi. सुरक्षा/गार्ड रूम/बाड़े
   - vii. सलाहकारी फीस
   - viii. गैर–तकनीकी कार्य जो कूल चैन भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाईयों से सीधे संबंधित न हो/जुड़े हो
4. संयंत्र एवं यंत्र के निम्न मदों पर किया गया व्यय
   - i. मार्जिन मनी, क्रियाशील पूंजी, फुटकर व्यय या
   - ii. ईंधन, उपभोज्य, अधिशेष एवं भंडार सामग्री
   - iii. वातानुकूलित डक्टिंग, कार्यालय संबंधी फर्नीचर जो उत्पादन से सीधा न जुड़ा हो, कंप्यूटर
   - iv. रीफर ट्रक/वाहन, रेफ्रीजरेटर/इंसुलेटिड वाहन इत्यादि के अलावा परिवहन वाहन
   - v. पुराने/उपयोग में लाई गयी मशीनें
   - vi. सभी प्रकार के सेवा शुल्क
   - vii. मशीनों पर रंग–रोगन करना
   - viii. क्लोज सर्किट टीवी तथा औजारों से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था
   - ix. सलाहकारी शुल्क
   - x. लेखन सामग्री
   - xi. सयंत्र एवं यंत्र जो कूल चेन या भंडारण संरचनाओं या उत्पादन इकाई से सीधे जुड़े नहीं हो
   - xii. अग्निशमन यंत्र, मक्खी पकड़ने का यंत्र, हाथ धोनें, कपड़ा धोने आदि की सुविधा जो उत्पादन प्रक्रिया से सीधे नहीं जुड़े हो
   - xiii. ठीक किये गये या नवीनीकृत सयंत्र एवं यंत्र

यह उपरोक्त सूची मात्र सूचक है और परिपूर्ण नहीं है। इस नीति के अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (SLSC) पात्र निवेशों/वस्तुओं को सहायता को सुनिश्चित करने के लिए अपात्र निवेश के दायरे से किसी भी निवेश को सम्मिलित करने या हटाने के लिए सक्षम होगी।

स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

परिशिष्ट –(iv)

कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि अवसंरचना परियोजना की नई इकाई स्थापना/विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश अनुदान आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम	
2.	आवेदक की श्रेणी • कृषकों का संगठन • अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/महिला/ 35 वर्ष से कम उम्र के उद्यमी • उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (सामान्य)	
3.	आवेदक का पता	
4.	मोबाईल नम्बर एवं फोन नम्बर (मय एस.टी.डी. कोड)	
5.	ई–मेल पता (बड़े अक्षरों में)	
6.	आवेदक का आधार नम्बर	
7.	फर्म/कम्पनी का जीएसटी नम्बर (यदि उपलब्ध हो)	
8.	उद्यम का गठन एकल स्वामित्व/साझेदारी/कम्पनी/सोसायटी/ एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. आदि	
9.	इकाई की प्रकृति विनिर्माण/सेवाप्रदाता	
10.	इकाई का प्रकार • नया उद्यम • विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण	
11.	परियोजना विवरण • परियोजना का नाम • परियोजना का क्षेत्र/अवस्थिति • उपयोग में आने वाला कच्चा माल • अंतिम उत्पाद एवं उप उत्पाद • इकाई की स्थापित क्षमता प्रति घंटा/प्रति वर्ष • विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के मामले में वर्तमान में स्थापित प्रसंस्करण इकाई का विवरण (वर्तमान क्षमता एवं प्रस्तावित विस्तार के बाद क्षमता तथा क्षमता की उपयोगिता)	
12.	भूमि की उपलब्धता (स्वयं/लीज/सरकारी आवंटन या लीज/अन्य (स्पष्ट करें)।	
13.	परियोजना लागत (बैंक द्वारा मूल्याकित प्रस्तावित लागत) • तकनीकी निर्माण कार्य • संयंत्र एवं मशीनरी • उपकरण • इकाई के उत्पादन में आवश्यक स्थाई पूंजी में किया गया अन्य निवेश • कुल योग	
14.	वित्तीय साधन (बैंक मूल्याकंन के अनुसार को सम्मिलित करते हुए) • स्वयं की पूंजी	

	• बैंक/वित्तीय संस्था से सावधि ऋण • अप्रतिभूति ऋण • अन्य वित्तीय स्त्रोत • कुल योग	
15.	इकाई द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत मांग की गई/प्राप्त की गई वित्तीय सहायता, यदि हॉ तो विवरण देवें	
16.	अतिरिक्त अनुदान (Top up Subsidy) • अनुदान स्वीकृतकर्ता भारत सरकार के कार्यालय/संस्था का नाम व पता • अनुदान योजना का नाम • अनुदान स्वीकृति पत्रांक मय दिनांक • अनुदान की मात्रा (प्रतिशत एवं राशि लाख रुपये में) • अनुदान का तरीका (किस्तों की संख्या एवं क्रेंडिट लिंक्ड बैक एन्डेड/सीधा भुगतान) • ऋणदात्री बैंक/संस्थान का नाम • भारत सरकार की योजनान्तर्गत किये गये संयुक्त निरीक्षण की प्रति, यदि कोई हो	
17.	उत्पाद के निर्माण से संबंधित अन्य उपलब्ध स्वयं के संसाधन (भवन/संयंत्र एवं मशीनरी इत्यादि)	
18.	प्रस्तावित रोजगार सृजन • कुशल • अर्धकुशल • अकुशल • कुल	प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
19.	उत्पाद का विपणन– स्थानीय/राज्य में/राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों	
20.	परियोजना के प्रारम्भ की तिथि	
21.	परियोजना के पूर्ण करने की अनुमानित तिथि	
22.	ऋणदात्री बैंक/संस्था का विवरण • नाम एवं डाक का पूर्ण पता • कार्यालय का संपर्क नम्बर और ई–मेल आईडी • लाभार्थी के सावधि ऋण से सम्बद्ध चालू खाते का विवरण • ऋणदात्री शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड • ऋणदात्री बैंक के क्षेत्रीय नियंत्रण कार्यालय का नाम व पता	

संलग्न सूची के अनुसार दस्तावेज

हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

(हस्ताक्षर करने वाले का नाम)
पता

अनुदान प्रार्थना पत्र के साथ चाहे गए दस्तावेजों की सूची

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र **परिशिष्ट–iv**
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति
3. प्रवर्तक/साझेदार/निदेशक CEO/MD एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कॉर्ड
4. उद्यमी फर्म का निरस्त किया हुआ चेक
5. उद्योग आधार (चालू इकाई के मामलें में)
6. जीएसटी नम्बर (चालू इकाई के मामलें में)
7. उद्यम का प्रमाण पत्रः निम्नलिखित में से जो भी लागू हो
   (i) साझेदारी फर्म के मामले में पंजीयन प्रमाण पत्र व साझेदारी विलेख
   या
   (ii) संस्था का पंजीयन, मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा समिति की उपविधियां इत्यादि (अगर लागू हो)
   या
   (iii) सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म एवं कंपनी के मामले में निगमन प्रमाण–पत्र, मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
   (iv) किसी भी राजकीय संस्था द्वारा प्राधिकृत स्वयं सहायता समूह का प्रमाण पत्र
8. किसान संगठनों के संदर्भ में सदस्य किसानों के नाम व पूर्ण पते सहित सूची **परिशिष्ट –(xv)**
9. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुदान व वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए कम्पनी बोर्ड का संकल्प पत्र फर्म की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के लिए प्राधिकार पत्र
10. भूमि संबंधी दस्तावेज एवं भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नवीनतम प्रति/परियोजना स्थल से संबंधित स्वामित्व के दस्तावेज। परियोजना स्थल का अक्षांश व देशांतर सहित गुगल मैप
11. परियोजना का नक्शा एवं भवन मानचित्र
12. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट **परिशिष्ट –(xvi)**
13. क्रियान्वयन अनुसूची **परिशिष्ट –(xvii)**
14. वास्तुकार/मूल्य निर्धारणकर्ता से प्रमाणित मदवार लागत के तकनीकी निर्माण कार्य का विवरण
15. परियोजना के लिए आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी/उपकरणों की सूची मय आपूर्तिकर्ताओं के कोटेशन/बीजक के
16. बैंक/वित्तीय संस्था की मूल्याकंन रिपोर्ट
17. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा जारी सावधि ऋण का स्वीकृति पत्र
18. राज्य सरकार की योजना से समान प्रकार के अवयवों के लिए अनुदान प्राप्त करने/नहीं करने का शपथ पत्र **परिशिष्ट –(xviii)**
19. लाभार्थी द्वारा निष्पादित किया गया नोटेरीकृत प्रतिभू बंध पत्र – कम से कम 100 रू. के नॉन ज्युडीशियल स्टांप पेपर पर
20. अतिरिक्त अनुदान (Top up Subsidy) के मामले में
    - भारत सरकार के विभाग/संस्था द्वारा जारी अनुदान स्वीकृति पत्र की प्रति
    - सावधि ऋण स्वीकृति पत्र एवं बैंक मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रति
    - बैंक के लेटर हेड पर सावधि ऋण वितरण का विवरण एवं ऋण खाते की सत्यापित प्रति

- बैंक द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान का विवरण एवं उसके सावधि ऋण में समायोजन की प्रक्रिया
- संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट की प्रति (यदि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत किया गया है)

21. इकाईयों के विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण प्रस्तावों के संबंध में
    - स्थायी परिसम्पतियों के लिए चार्टर्ड अकाउटेंट का प्रमाण पत्र **परिशिष्ट –(xii-B)**
    - पिछले तीन साल के लेखों का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण रिपोर्ट (विस्तार एवं विविधकरण आधुनिकीकरण के मामलों में)
22. विकिरणन सुविधा के लिए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक है–
    - भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र (BARC)/बोर्ड ऑफ रेडियशन आइसोटॉप टेकनोलॉजी (BRIT) का पत्र जिसमें प्रक्रिया उत्पाद के लिए तकनीकी अनुमोदन हो
    - विकिरणन सुविधा की स्थापना एवं संचालन के लिए (BARC)/(BRIT) के साथ किया गया तकनीकी अनुबंध

नई इकाईयों के लिए क्र. संख्या 1 – 19 पर अंकित दस्तावेज, अतिरिक्त अनुदान/बढ़े हुए अनुदान (Top up Subsidy) के लिए क्र. संख्या 20 पर अंकित दस्तावेज एवं इकाईयों के विस्तार एवं विविधीकरण/आधुनीकरण के प्रार्थना पत्रों के साथ क्र. संख्या 21 पर अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रार्थना पत्र स्वीकृत नही किए जाएंगे।

नोटः दस्तावेजों की सूची/चाहे गए संलग्नक (दस्तावेजों की सूची प्रस्तुत की गई है जो मात्र सूचक है एवं संपूर्ण नही है। सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्वयं प्रमाणित होनी चाहिए।)

(मात्र कार्यालय उपयोग हेतु)

प्राप्ति रसीद

(दो प्रतियों में बनायी जाएगी जिसकी मूल प्रति आवेदक को दी जावेगी)

मैसर्स ..... का अनुदान प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के साथ (क्र. संख्या ..... के अलावा) दिनांक .....प्राप्त किया गया।

प्राप्तकर्ता अधिकारी/ कर्मचारी
के हस्ताक्षर

(कार्यालय की मोहर)

Annexure – (vi)

Format of Letter for Release of Funds for Subsidy

Chief Accounts Officer
RSAMB
HO, Jaipur

Re: Release of funds for subsidy disbursement

Dear Sir/Madam,

On the captioned subject, a sum of Rs. (In words ……) is requested to release for credit in below mentioned bank account for distribution of subsidy claims received under Rajasthan Agro-processing, Agri-business and Agri-export Promotion Policy, 2019 as detailed below:

S. No.	Name of Enterprise	Type of subsidy (Capital/Interest/ Transport/Electricity/ Solar)	Subsidy sanction Amount/due for payment	Date of sanction by SLSC/DLSC	Remarks

Banks account details:

Name of Bank: ……..
Address of Bank Branch (with official Phone no. & Email) ……..
Name of Account Holder: ……..
Type of Account and Number: ……..
IFSC code of Bank Branch: ……

Enclosed:

1. Copy of DLSC meeting
2. Copies of Sanction/Entitlement letter

Place :

Date : (Signature with Seal)
Member Secretary
District Level Screening Committee"

CC:

1. M/s …….
2. FA/CAO, RSAMB
3. Programmer/SO for data entry

परिशिष्ट (vii)

उद्यम का निरीक्षण तथा अनुदान की तीसरी किस्त जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र

सदस्य सचिव

जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति

जयपुर/जिला.....

विषय : राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अंतर्गत स्थापित मेरी/हमारी परियोजना के निरीक्षण एवं अनुदान की तृतीय किस्त जारी करने के संबंध में

महोदय,

उक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि मेरी/हमारी परियोजना पूर्ण हो चुकी है और दिनांक ..... से व्यावसायिक उत्पादन/संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है एवं इसके प्रमाणस्वरूप प्रथम बिल की प्रति संलग्न है। मैं/हम निम्न आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूं/रहे है–

1. प्रथम बिल की प्रति
2. वास्तुकार/मूल्य निर्धारक का प्रमाण पत्र परिशिष्ट– (ix) and (x)
3. बैंक प्रमाण पत्र परिशिष्ट –(xi)
4. सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र परिशिष्ट– (xii)A /B
5. उपयोगता प्रमाण पत्र परिशिष्ट– (xiii)
6. नोटेरीकृत शपथ पत्र परिशिष्ट– (xviii)
7. परियोजना स्थल के स्पष्ट दर्शनीय स्थल पर ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त'' अंकित साइन बोर्ड लगे होने का फोटोग्राफ
8. कृषि उपज मंडी समिति का लाईसेंस जहां लागू हो

अतः आपसे निवेदन है कि योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुदान की तीसरी एवं शेष अंतिम किस्त जारी जारी करने हेतु इकाई का संयुक्त निरीक्षण करने एवं करने की व्यवस्था करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

दिनांक : आवेदक/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान :

नाम व पद
मुहर

परिशिष्ट (viii)

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

संयुक्त निरीक्षण समिति (JIC) रिपोर्ट हेतु प्रपत्र

निरीक्षण की तिथि :

1. DLSC/SLSC को संयुक्त निरीक्षण के लिए परियोजना के पूर्ण करने और दस्तावेजों के प्रस्तुत करने की सूचना की तिथि:.....
2. संयुक्त निरीक्षण समिति के सदस्य :

संस्थान	अधिकारी का नाम	पद	कार्यालय का पता
सदस्य सचिव DLSC			
अधिशाषी अभियंता RSAMB			
मंडी सचिव			
बैंक प्रतिनिधि			

3. i) परियोजना का पता व दूरभाष नं.
   (गांव/तहसील/जिला सहित)
   ii) प्रमोटर का नाम व पता, दूरभाष नम्बर और ईमेल आईडी
   iii) परियोजना का प्रकार (प्रसंस्करण/अवसंरचना/सेवाप्रदाता)
   iv) क्या परियोजना टीएसपी क्षेत्र/पिछड़े जिले में स्थित है
   v) श्रेणी (कृपया स्पष्ट करें)
   - क्या परियोजना किसान या उनके संगठनों से संबंधित है (संगठन का विवरण)
   - महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उनकी सहकारी समितियां:
   - व्यक्तिगत
   - भागीदारी फर्म
   - कंपनी/निगम
   - सरकारी संस्थायें
   - अन्य
4. अनुदान पात्रता की दर (10, 25 या 50 प्रतिशत, जो भी लागू हो)
5. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम और पता मय टेलीफोन नं. और ईमेल आईडी :
6. स्वीकृत ऋण का विवरण
   - वित्तीय संस्था को प्रस्ताव/आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि
   - ऋण स्वीकृति की तिथि
   - स्वीकृति ऋण की राशि
   - ऋण की प्रथम किस्त के वितरण की तिथि और राशि
   - ऋण की अंतिम किस्त के वितरण की तिथि और राशि
   - वितरित कुल ऋण राशि
   - परियोजना शुरू होने की तिथि

- परियोजना के पूर्ण होने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने की तिथि
- क्या दस्तावेज पूर्ण एवं निर्धारित समय पर प्रस्तुत किये गए है

7. स्वीकृति परियोजना का विवरण
    - परियोजना की कुल लागत
    - DLSC/SLSC द्वारा अनुमत परियोजना लागत
8. परियोजना सत्यापन का विवरण
    1. परियोजना के तहत निर्मित बुनियादी अवसंरचनाओं का संक्षिप्त विवरण

        .....

    2. लागत मदों (Components) का विवरण

क्र. सं.	मद (Item)	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रू.)	वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन के अनुसार (रू.)	वास्तविक व्यय (रू.)	संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा सत्यापित (रू.)
1	निर्माण कार्य				
2	संयंत्र एवं मशीनरी i ii iii				
3	संबद्ध / सहायक सुविधाएं				
4	अन्य (स्पष्ट करें)				
	कुल				

3. वित्तीय संसाधन :

निधि स्त्रोत	परियोजना रिपोर्ट के अनुसार (रू.)	वित्तीय संस्थान (FI) द्वारा अनुमोदित (रू.)	वास्तविक व्यय (रू.)	संयुक्त निरीक्षण समिति (JIC) द्वारा सत्यापित (रू.)
प्रवर्तक का अंशदान				
सावधि ऋण				
अन्य स्त्रोत				
कुल				

4. विस्तार / आधुनिकीकरण / विविधीकरण के मामले में निम्नलिखित जानकारी / सूचना अंकित किया जाना आवश्यक है:

क्र. सं.	अचल सम्पत्तियों के घटक	विस्तार / आधुनिकीकरण / विविधिकरण से पहले सकल स्थिर पूंजी निवेश (लाख रू. में) दिनांक	विस्तार / आधुनिकीकरण / विविधिकरण के लिए वास्तविक सकल स्थाई पूंजी निवेश (लाख रू. में) दिनांक	स्वीकृति योग्य अनुदान (मदवार सूची परिशिष्ट में)
1	भूमि			
2	भूमि विकास			
3	भवन			
4	संयंत्र और मशीनरी			

5	विद्युतीकरण			
6	निर्माण के लिए अन्य आवश्यक सम्पत्तियां			
कुल				

5. अस्वीकृत मद (कारण अंकित करें)

   .....

6. क्या परियोजना अनुमोदन (विनिर्देशों आदि) के अनुसार कार्यान्वित की गई है यदि नहीं, तो विचलन स्पष्ट करें .....
7. कुल अनुदान पात्रता
   - अनुदान पात्रता की गणना के लिए परियोजना लागत
   - अनुशंसित अनुदान की कुल राशि
8. प्राप्त/जारी की जाने वाली अनुदान की किस्त की तिथि और राशि
   I. प्रथम किस्त
   II. द्वितीय किस्त
   III. जारी करने योग्य शेष अनुदान
9. किसी अन्य संस्था से प्राप्त अनुदान
   I. राज्य सरकार
   II. केन्द्र सरकार (अन्य घटकों के लिए यदि कोई हो)
10. कोई अन्य टिप्पणी/कमियां
11. व्यावसायिक उत्पादन/संचालन के प्रारंभ होने की तिथि
12. ब्याज अनुदान के लिए पात्रता : हां या नहीं
13. विद्युत प्रभार अनुदान के लिए पात्रता : हां या नहीं
14. संयुक्त निरीक्षण समिति की सिफारिश

    .....

    .....

    .....

सदस्य	नाम	हस्ताक्षर
सदस्य सचिव DLSC		
अधिशाषी अभियंता		
मंडी सचिव		
बैंक प्रतिनिधि		

Annexure –(ix)

Format for Item wise Details of Technical Civil Works

Name of Project and location:

Sr. No.	Description of Work	Area (Sq. Meter)	Total Cost (Rs.)	Eligible or Ineligible
Total				

Date :

Signature
Name and Seal of Architect/Valuer (Civil)

Place:

(For office use only)

Computation of subsidy

Total Cost of Technical Civil work

Ineligible cost

Total Eligible Cost

Say Rs. in Lakhs

Admissible Subsidy @ 25% / 50%

Annexure – (x)

Format for Item wise Details of Plant & Machinery

Name of Project and location:

Sr. No.	Name of Machine	No. Of Machines	Capacity	Cost in Rs. (As per attached quotation/bills)	Eligible	Ineligible
Total						

Date :

Signature
Name and Seal of Valuer (Mechanical)

Place:

(For office use only)

Computation of subsidy

Total Cost of Plant & Machineries

Ineligible cost of P/M

Total Cost of Eligible P/M

Say Rs. in Lakhs

Admissible Subsidy @ 25% / 50%

Annexure – (xi)

Format for Bank Certificate

(Letter Head of the Bank)

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s …….. (Name and address of the company) under Rajasthan Agro Processing Agri Business and Agri Export Scheme 2019 for subsidy purpose as per Scheme guidelines and also sanctioned a term loan of Rs. …… Lakh.
2. It is further certified that we have released Rs…….. Lakh (……..% of sanctioned term loan) to M/s. ..... (Name and address of the enterprise/person/company).
3. It is further certified that the entrepreneur has spent ……% of its equity in the project.
4. We have no objection in releasing 1st/2nd/3rd instalment of grant if sanctioned by the RSAMB.

Date:

Place :

(Signature)

(Name)

(Branch Manager)

Seal of Branch

Annexure – (xii - A)

C.A Certificate of Investment (for New Units)

(On the Letter Head of CA)

We hereby certify that M/s …… has incurred cost for acquired/creating following assets at its/their unit/factory located at address …… for manufacturing of …… products/ providing services of ……

1. **Project Cost (Rs. in Lakhs)**

Sl. No.	Name of the Component/ Item	Project Cost	Cost as appraised by the Bank	Cost of New unit/Expansion /Diversification/ Modernization	Actual Cost
1.	Land				
2.	Building / Civil Works				
3.	Plant & Machinery				
4.	Misc. Fixed Assets				
5.	Other (Pls specify)				
Total					

2. **Means of Finance (Rs. in Lakhs)**

Sl. No.	Item	Project Cost	As per appraisal report	New Unit/Expansion/ Diversification/ Modernization	Actual Cost
1.	Owned Fund				
2.	Term Loan				
3.	Unsecured Loan				
4.	Grant/Subsidy received for the Project from other agency				
5.	Other (Pls specify)				
Total					

3. Details of unsecured Loan, if any

……..

……..

We have checked the books of accounts of the unit and invoices etc. and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid and no credit is raised against them in the books of the unit except those stated above. We also certify that the above cost of project does not include working capital loan/cash credit limit or similar credit facility and margins.

Date:
Place :

Signature of CA
(Seal & Name)
Membership No. ……..

Annexure – (xii – B)

CA Certificate format Fixed Asset

(on the Letter Head of CA)

We hereby certify that M/s …… have acquired following fixed assets at its/their existing unit/ factory located at …….. (address) ……..……. for manufacturing of …… products or providing service of ……..

Sr. No.	Break up Fixed assets	Gross Fixed Capital Investment before Expansion/ Diversification/ Modernisation (Rs.In Lakhs) as on DD/MM/YYYY	Proposed/Actual Gross Fixed Capital Investment for Expansion/ Diversification/ Modernisation (Rs In Lakhs) as on DD/MM/YYYY	Additional investment in fixed assets	Increase in %
1	Land				
2	Land Development				
3	Building				
4	Plant & Machinery				
5	Electrification				
6	Other Assets required for Manufacturing				
Total					

We have checked the books of accounts of the unit and invoices etc. and certify that the aforesaid information is verified and certified to be true. We also certify that all the aforesaid items have been duly paid and no credit is raised their against in the books of the unit except those stated above. We also certify that the above cost of project does not include working capital loan/cash credit limit or similar credit facility and margins.

Date: Signature of CA

Place : (Seal & Name)

Membership No. ……..

Annexure – (xiii)

Format for Utilization Certificate

(PROFORMA AS PER GFR 19-A)

S. No.	Letter No. & Date	Amount
1.		
2.		

Certified that out of Rs. .....of grant-in-aid sanctioned during the year …… in favour of …… under Rajasthan Agro-processing, Agri-business and Agri-export Promotion Policy, 2019 by Rajasthan State Agricultural Marketing Board or connected office vide letter No. given in the margin and a sum of Rs. ..... has been utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Certified that I have satisfied myself that conditions on which the subsidy/assistance/grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of checks exercised.

1.

2.

3.

Date:

Place:

Signature of CA: _____

Name with Seal

Membership No. …….....

Counter signature of

Promoter/ authorised person of firm/company/organisation with Seal & FI/Bank

परिशिष्ट –(xiv)

अनुदान स्वीकृति पत्र

(DLSC/SLSC के सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाना है)

(राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अंतर्गत)

आदेश

मैसर्स ..... (पंजीकृत कार्यालय का पता)..... .... को DLSC/SLSC द्वारा दिनांक .....बैठक में .... (परियोजना स्थान) पर ..... उत्पाद निर्माण या .... अवसंरचना परियोजना के लिए ऋण की प्रथम किस्त के वितरण की तिथि से 18/24 महीने की निर्धारित अवधि में परियोजना स्थापित करने हेतु अंतरिम रूप से पूंजी अनुदान राशि रू. ..... (शब्दों में.....) स्वीकृत की जाती है।

ऋण अनुदान एवं विद्युत एवं /अथवा सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान हेतु समस्त प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियान्वयन शुरू होने के पश्चात योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में DLSC के समक्ष आवेदन करना होगा।

स्थान :

दिनांक : (हस्ताक्षर मय सील)

सदस्य सचिव
DLSC/SLSC

प्रतिलिपि :

1. मैसर्स
2. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी बोर्ड
3. प्रोग्रामर/एस.ओ. डाटा एंट्री

नोट :

1. यह आदेश गलत प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत करने/मिथ्या निरूपण/छुपाने/धोखाधड़ी करने/संबंधित नीति/योजना की अधिसूचना के शर्त एवं/या नियमों के उल्लंघन करने की दशा में निलंबित किया/वापस लिया/संशोधित किया जा सकता है।
2. आवेदक द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी करने वाला अधिकारी आदेश को प्रात्याहारित कर सकता है।

परिशिष्ट (xv)

कृषक सूची का प्रपत्र

किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनी/किसानों की सोसायटी का नाम ..... पंजीकरण नम्बर.....

क्र. सं	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	पता	सदस्यता की तिथि	मो. नम्बर
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त किसानों की सूची संगठन के रिकॉर्ड के अनुसार सत्य है। मैं/हम किसी भी तरह की कमी/त्रुटि के लिए एवं उसके अनुदान पर पड़ने वाले प्रभार के लिए जिम्मेदार होंगे।

कंपनी/संगठन के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रपत्र

1. कार्यकारी सारांश
2. पृष्ठ भूमि
   2.1 क्षेत्र की पृष्ठ भूमि
   2.2 परियोजना की पृष्ठ भूमि
   2.3 प्रवर्तक की पृष्ठ भूमि
3. क्रय नीति
   3.1 कच्चे माल की उपलब्धता (स्थानीय/अन्य जिला/अन्य राज्य/आयात)
   3.2 क्रय का स्त्रोत (सीधे किसान से/स्थानीय मंडी/अन्य राज्य/आयात)
   3.3 क्रय प्रक्रिया (मौसमी/नियमित)
4. तकनीकी – व्यावसायिक सार्थकता रिपोर्ट
5. सुविधाओं की उपलब्धता (पानी/बिजली आदि)
6. श्रमिकों की उपलब्धता (कुशल/अर्धकुशल/अकुशल)
7. उत्पादन प्रक्रिया के चरणों का नक्शा (Process Flow Diagram)
   (निम्न प्रारूप में तैयार किया जावें)

फ्लो चार्ट प्रक्रिया का प्रपत्र			
क्र. सं	अवस्था का नाम	आवश्यक मशीनरी	क्रियात्मक लाभ

8. विपणन नीति
   8.1 विपणन अवसर (स्थानीय/शहरी बाजार/अन्य राज्य/निर्यात)
   8.2 बाजार पहुंच (सीधी बिक्री/बिक्री तंत्र आदि)
9. क्रियान्विति अनुसूची मय संभावित तिथि के
10. SWOT विश्लेषण
11. वित्तीय विश्लेषण
    11.1 लागत अनुमान
    11.2 आय अनुमान
    11.3 निधि का स्त्रोत
        11.3.1 स्थायी पूंजी निवेश के लिए
        11.3.2 आवर्ति व्यय के लिए
    11.4 वित्तीय अनुपात
    11.5 आय–लागत बिन्दु

परिशिष्ट (xvii)

क्रियान्विति अनुसूची प्रारूप

परियोजना का नाम :

गतिविधि	दिनांक
1. सावधि ऋण की प्रथम किस्त के वितरण की तिथि	
2. भवन निर्माण प्रारंभ करने की तिथि	
3. भवन पूर्णता की तिथि	
4. संयंत्र एवं मशीनरी के क्रय करने के आदेश की तिथि	
5. संयंत्र एवं मशीनरी को स्थापित करने की तिथि	
6. विद्युत कनेक्शन (LT/HT) स्वीकृत करने की तिथि	
7. विद्युत कनेक्शन (LT/HT) जारी करने की तिथि	
8. उत्पादन परीक्षण/चालू करने की तिथि	
9. व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि	

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम व पद

प्रतिष्ठान/संस्थान की मुहर

परिशिष्ट–(xviii)

शपथ पत्र

(100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं/हम ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मालिक/भागीदार/निदेशक/अधिकृत व्यक्ति (पदनाम) मै. ..... (पूर्ण पत्राचार का पता सहित) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि .....

1. मेरे/हमारे द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत कोई अनुदान न तो प्राप्त किया है और न ही प्राप्त करेंगे।
2. मैं/हम संबंधित प्राधिकारी से समक्ष अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करके ही प्रोजेक्ट का निर्माण तथा संचालन प्रभावी नियमों/विधि अनुसार ही करेंगे।
3. मैं/हम 3 वर्ष की अवधि तक प्रोजेक्ट को अन्य किसी प्रयोजन हेतु इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है, उसके अंतर्गत ही काम में लिया जावेगा।
4. मैं/हम योजनांतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा इसे निरस्त किया जाता है तो स्वीकृत अनुदान को वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।
5. मैं/हम योजनांतर्गत प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात् सभी दस्तावेज निर्धारित समयावधि तथा दिशा निर्देशानुसार प्रस्तुत कर देंगे।
6. मैं/हम अपना ऋण खाता ऋण वितरण की प्रथम किस्त जारी करने की तिथि से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि से पूर्व बंद नहीं करेंगे।
7. मैं/हम इस बाबत् सहमति देते हैं कि योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की कोई गारंटी नहीं है, न ही मेरा/हमारा कोई अधिकार है। मैं/हम इस बाबत् की सहमति देते हैं कि अनुदान निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के समक्ष पहले आओ, पहले पाओं के आधार पर तथा योजना के दिशा निर्देशों की पालना पर जैसा कि राज्य सरकार/राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व सूचना या बिना सूचना के अभिप्रेरित और संशोधित किया जायेगा।

   मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि यदि हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो हमारी अनुदान राशि को जब्त किया जा सकता है अथवा हम उसे वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।

शपथ ग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम सत्यापित करता/करते हूं/है कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य व सही है तथा शपथ पत्र के किसी भी भाग से छेड़छाड़ नहीं की गई है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। यदि शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की सामग्री झूठी/असत्य पायी जावें तो हम संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार होंगे तथा हमारे विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

अतः आज दिनांक ..... स्थान ..... को सत्यापित किया जाता है।

शपथ ग्रहिता

नोटेरी सील एवं हस्ताक्षर

Annexure – (xix)

Format for Surety Bond

(Non-judicial stamp paper of Rs.100/- or more& duly Notarised)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that we, M/s. ..... a (Type of organization) incorporated / registered under the (Name of the Act) and having its registered office at (hereinafter called the Obligors") are held fully and firmly bound to the Rajasthan State Agricultural Marketing Board (hereinafter called the "RSAMB") for the sum of Rs. (Rupees only) well and truly to be paid to the RSAMB on demand and without a demur for which payment we firmly bind ourselves and our successors and assignees by these presents.

SIGNED on the day of Month in the year .....Two Thousand

WHEREAS on the Obligors' request, the RSAMB as per Sanction Order No..... Dated ..... (hereinafter referred to as the "Letter of Sanction") which forms an integral part of these presents, and a copy whereof is annexed hereto and marked as Annexure-I, agreed to make in favour of the Obligors subsidy/grants-in-aid of Rs. …… (Rupees …… only) for the purpose of out of which the sum of Rs. (Rupees only) have been paid to the Obligors (the receipt of which the Obligors do hereby admit and acknowledge) on condition of the Obligors executing a bond in the terms and manner contained hereinafter which the Obligors have agreed to do.

NOW the conditions of the above written obligation is such that if the Obligors duly fulfil and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, the above written Bond or obligation shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. The Obligors will abide by the terms & conditions of the grants-in-aid by the target dates, if any specified therein.

THAT the Obligors shall not divert the subsidy/grants-in-aids and entrust execution of the project or trade concerned to another person/firm/enterprise/institution(s) or organization(s).

THAT the Obligors shall abide by any other conditions specified in this agreement and in the event of their failing to comply with the conditions or committing breach of the bond, the Obligors individually and jointly will be liable to refund to the RSAMB, the entire amount of the grants-in-aid with interest of 12% per annum thereon. If the subsidy/assistance is availed in excess of the admissible amount of subsidy/assistance, it shall be charged up at interest mentioned above to the date of its refund to the RSAMB.

The Obligors agree and undertake to surrender / pay the RSAMB the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive / have received or derived through / upon unauthorized use of (such as letting out the premises on adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that for which the subsidy/grants-in-aid was intended of the property) buildings created / acquired constructed largely from out of the subsidy/grants-in-aid sanctioned by the RSAMBor the administrative Head of the Department concerned. As regards the monetary value aforementioned to be surrendered / paid to the Government, the decision of the RSAMB/Government will be final and binding on the Obligors.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT the decision of the Principal Secretary (Agri) to the Govt. of Rajasthan on the question whether there has been breach or violation of any of the terms or conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding upon the Obligors and

IN WITNESS WHEREOF these presents have been executed as under on behalf of the Obligors the day herein above written in pursuance of the notification No. …….Dated …….. issued by the Government of the Obligors, a copy whereof is annexed hereto as Annexure-II and by for and on behalf of the RSAMB on the date appearing below:-

Signature of the AUTHORISED SIGNATORY

Signed for and on behalf of

(Name of the Obligor in block letters) (Seal / Stamp of Organization)

1. Signature of witness

Name & Address

_____
_____
_____

2. Signature of witness

Name & Address

_____
_____
_____

TO BE FILLED UP BY THE OFFICE (ACCEPTED)

For and on behalf of the RSAMB

Signature

Name: _____

Designation: _____

Dated: _____

Notary Seal & Signature

परिशिष्ट (xx)

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए रचनात्मक विनिर्देश

1. Negotiable Warehousing Receipt System (पराक्रम्य भण्डारण रसीद प्रणाली) के लिए वेयर हाउस विकास एवं नियामक प्राधिकरण (WDRA) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम (CWC) या भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मापदण्डों के अनुरुप वेयरहाउस का निर्माण किया जाना होगा।
2. प्याज भण्डारण के लिए राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (NHRDF) द्वारा निर्धारित मापदण्ड अपनाये जाने होगे।
3. अनुमत्य शीत भण्डार परियोजनाओं, राईपनिंग चेम्बर (पकाने के कक्ष) आदि के लिए राष्ट्रीय शीत श्रृंखला विकास केन्द्र (NCCD) द्वारा अनुमोदित तकनीकी मापदण्ड जो http://nccd.gov.in. पर उपलब्ध हैं, अपनाने होगे। ये मापदण्ड एकीकृत उद्यान विकास मिशन (MIDH) की वेबसाईट http://midh.gov.in. पर भी उपलब्ध हैं।

भण्डारण क्षमता की गणना :–

1. भण्डार अवसंरचना जिनकी औसत ऊचाई 4.5 मीटर या अधिक हैं, की भण्डारण क्षमता की गणना 1.8 मै.टन प्रति वर्ग मीटर (सतही क्षेत्रफल) के हिसाब से की जायेगी। जिन भण्डार अवसंरचाओ की औसत ऊंचाई 4.5 मीटर से कम हैं, उनकी क्षमता की गणना 0.4 मै.टन प्रति घनमीटर के हिसाब से की जायेगी।
2. शीत भण्डारों में 3.4 घनमीटर/(120 घनफीट) कक्ष आयतन को एक मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता के बराबर मानकर गणना की जायेगी।
3. वातानुकूलित परिवहन वाहन के 3.0 घनमीटर (106 घनफीट) कक्ष आयतन को एक मैट्रिक .टन भराव भण्डारण के बराबर मानकर गणना की जायेगी।
4. राईपनिंग चैम्बर (पकाव कक्ष) को 11 घनमीटर कक्ष आयतन को एक मै.टन भण्डारण क्षमता के बराबर मानकर गणना की जायेगी।

भण्डारण अवसंरचनाओं के लिए ध्यान में रखने योग्य अन्य बिन्दु :–

1. भण्डारण अवसंरचनाओं की ऊंचाई फर्श के स्तर से छत के आधार के तल (Bottom of Truss) तक नापी जायेगी।
2. जिन वेयरहाउस की छत आरसीसी की हैं उनकी ऊंचाई छत के निम्न तल की ऊचाई में से एक मीटर घटाकर नापी जायेगी।
3. नए कोल्ड स्टोरेज जो एकाधिक कक्ष के हो एवं NCCD/MIDH द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों एवं मानको के अनुरुप जिनमें कि ऊर्जा दक्ष, उष्णरोधी, नियंत्रित आद्रता एवं उन्नत प्रशीतलन प्रणाली, स्वचालित तकनीक आदि लगाये जाने के प्रावधान हो, को ही योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सकेंगी।
4. कोल्ड स्टोरेज परियोजनाए अनुमोदित करते समय कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड चैन के विनिर्देशों, मानकों एवं प्रोटोकॉल के मौजुदा प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावेगी। प्रवृद्धित तकनीकी तथा क्षमताओं के प्रारम्भ/अनुमोदन पर NCCD द्वारा तकनीकी मानकों एवं अनुपालन प्रोटोकॉल के पालन में आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जावेगा।

5. वेयरहाउस संरचनाओं में उत्पाद रखने वाले कृषक अपनी उपज के दृष्टिबन्धन पर दृष्टिबंधक ऋण (प्लेज लोन) लेने हेतु पात्र होगे। दृष्टिबंधक ऋण के नियम एवं शर्ते जैसे अंश राशि ब्याज दर, बंधन का समय, राशि आदि भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड के दिशा–निर्देशों तथा ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा अनुपालन किये जाने वाली सामान्य बैकिंग प्रक्रिया के अनुरुप होगी।

रीफर वाहनों को अनुदान :–

योजना का उद्देश्य उद्यानिकी एवं गैर उद्यानिकी शीघ्रनाशी प्रकृति के उत्पादों को लाने, ले जाने व परिवहन करने के लिए स्वचालित रीफर वाहन/सचल प्रिकूलिंग वाहन (रीफर इकाई एवं वाहन पर स्थाई रूप से रखी गई रीफर केबीनेट) को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजनांतर्गत स्वचालित रीफर वाहन भी क्रय किये जा सकते है। यह योजना सुसज्जित शीत आपूर्ति श्रृखंला प्रबन्धन के माध्यम से उत्पादक कृषक समूहों को प्रसंस्करणकर्ताओं व नये बाजारों से जोड़ने में उपयोगी रहेगी।

अधिकतम अनुमत लागत

1. भण्डार गृह की अधिकतम अनुमत लागत की गणना भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एकीकृत कृषि विपणन सरंचना उप योजना के अन्तर्गत निर्धारित लागत 3000 रूपये प्रति मैट्रिक टन भण्डारण स्थल के हिसाब से की जायेगी।
2. कोल्ड चैन अवयवों की लागत की गणना NCCD/ MIDH के प्रचलित दिशा–निर्देशों के अनुरुप की जावेगी।
3. अनुदान की गणना हेतु भारत सरकार के विभाग/संस्थाओं के मापदण्डों के पहले इस योजना के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों की पूर्णतः पालना की जायेगी।

परिशिष्ट (xxi)

प्रवर्तक हेतु पूंजी अनुदान की मांग हेतु सामान्य दिशा निर्देश

1. परियोजना हेतु सावधि ऋण राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना 2019 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। पूर्व में स्वीकृत परियोजनाऐं योजना के अंतर्गत अनुदान की पात्र नहीं होगी।
2. पूर्व में निर्मित इकाईयों अथवा मोर्टगेज लोन का पुनर्भरण योजना के तहत अनुमत नहीं होगा।
3. परियोजना क्रियान्वयन दिशा निर्देशों में उल्लेखित तकनीकी मापदंडों एवं वित्तीय मापदंड जो कि परियोजना प्रस्ताव में दिए गए है के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि किसी प्रकार का विचलन होता है तो अनुदान राशि मूल प्रस्ताव अथवा वास्तिविक में जो भी कम हो के अनुसार देय होगी।
4. प्रमोटर/उद्यमी ऋण अवधि में परियोजना स्थल की भूमि एवं परियोजना को जिस उद्देश्य से अनुदान दिया गया है उस उद्देश्य से पृथक नहीं करेगा।
5. राज्य की किसी अन्य संस्था/विभाग द्वारा योजनांतर्गत प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव पर अनुदान/सहायता नहीं ली गई हो।
6. भारत सरकार की योजनाओं में नीति के अंतर्गत वर्णित योजनाओं में टॉप–अप अनुदान देय होगा।
7. स्वीकृत परियोजना अथवा परियोजना के किसी घटक को छोड़ने/अस्वीकृत करने या परिवर्तन करने की स्थिति में प्रमोटर/उद्यमी उसके अनुदान की राशि लौटाने हेतु उत्तरदायी होगा।
8. प्रमोटर को अन्य वित्तीय संस्थान से लॉन टेकऑवर की स्थिति में बोर्ड से पूर्वानुमति लेनी होगी।
9. इकाई के सामने का स्पष्ट दिखायी देने वाला साईन बोर्ड जिसमें राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एवं एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति – 2019 के तहत राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त लिखा हो प्रदर्शित करना होगा।
10. योजना के दिशा निर्देशों की सरकार द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी। योजना की किसी भी अवधि और शर्त को संशोधित करनें, जोड़ने और हटाने का अधिकार सरकार में निहित है इसलिए बिना काई कारण निर्दिष्ट किये किसी भी प्रावधान को प्रतिबन्धित/लागू कर सकती है।
11. परियोजना उद्देश्य के अनुसार ही काम ली जा रही है इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रथम किस्त जारी करने के 3 वर्ष के लॉक–इन–पीरीयड में कभी भी परियोजना का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। अवहेलना की स्थिति में अनुदान वापसी सहित वांछित कार्यवाही की जा सकती है। यदि ब्याज अनुदान लिया गया है तो यह अवधि 5 वर्ष या भुगतान पूर्ण होने जो भी पहले हो रहेगी।
12. रूपये 100 लाख तक की परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि 18 माह तथा अधिक लागत की परियोजनाओं की अवधि 24 माह होगी। अवधि की गणना सावधि ऋण की प्रथम किस्त जारी होने की तिथि की जायेगी। उपयुक्त आधार पर DLSC द्वारा 6 माह का अवधि विस्तार अनुमत होगा परन्तु पात्र अनुदान राशि अधिकतम अनुमत अवधि समाप्त होने के पश्चात् 1 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह काटी जायेगी। इससे अधिक विस्तार पर DLSC की अभिशंषा पर SLSC द्वारा विचारण किया जा सकता है परन्तु अधिकतम अनुमत अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक माह हेतु 1 प्रतिशत अनुदान राशि की कटौती की जायेगी।

13. ऋण अनुदान एवं विद्युत एवं/अथवा सौर ऊर्जा संयत्र अनुदान हेतु SLSC अथवा DLSC द्वारा स्वीकृत समस्त प्रकरणों में वाणिज्यिक उत्पादन/क्रियान्वयन शुरू होने के पश्चात योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में DLSC के समक्ष आवेदन करना होगा।

14. समस्त लागू कानूनों की पालना करने, परियोजना के निर्माण एवं संचालन हेतु वांछित स्वीकृतियां सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करने एवं परियोजना को बीमित कराने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी। राज्य सरकार बोर्ड SLSC एवं DLSC प्रमोटर द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। वांछित स्वीकृतियों/अनुमतियों की अनुपालना नहीं करने पर अनुदान वापस लौटाना होगा।

15. योजना के अंतर्गत आवेदन अनुदान की गारंटी नहीं है इस संबंध में एकल स्वामी/उद्यमी/प्रमोटर के अनुदान संबंधी अधिकार सृजित नहीं होते हैं यह फण्ड की उपलब्धता योजना की निरंतरता एवं राज्य सरकार/विभाग के विवेकाधीन है, जिसमें राजस्थान सरकार बिना किसी सूचना एवं व्याख्या के परिवर्तन कर सकती है।

(ब) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि अवसंरचनाओ संबंधित परियोजनाओं की नयी इकाई स्थापना/विस्तारीकरण/ विविधिकरण/आधुनिकीकरण के लिए बिन्दु संख्या 13.2 व 14.1 एवं योजना के बिन्दु संख्या–4 के अन्तर्गत सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान, विद्युत प्रभार अनुदान एवं सोलर प्लांट लगाने के लिए पूंजी अनुदान योजना के कियान्वयन हेतु दिशानिर्देश

उद्देश्यः– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत् पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली नयी/विस्तारीकरण/विविधिकरण/ आधुनिकीकरण परियोजनाओ की संचालन लागत को कम करना है। इससे योजना के अन्तर्गत प्रतिपादित विभिन्न परिलाभो के त्वरित एवं अधिकतम अंगीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य में आपूर्ति एवं मुल्य श्रृंखला के विकास को गति मिलेगी। क्षेत्रीय, लिंग एवं वर्ग के अपेक्षाकृत कम संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों एवं युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन करने के लिए अतिरिक्त ब्याज उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य प्रावधान

ब्याज अनुदानः–

i. **कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान सहायता :** नवीन इकाई स्थापना या वर्तमान इकाईयों के विस्तार/आधुनिकीकरण या विविधिकरण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक या ऋण वापसी की तिथि, जो भी पहले हो, ब्याज अनुदान अधिकतम रुपये 50 लाख की सीमा तक देय होगा।

ii. **कृषि आधारभूत संरचनात्मक परियोजना को सविध ऋण पर ब्याज अनुदान सहायता :** कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में ढांचागत परियोजना एवं मूल्य श्रृखंला जैसे वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य इररेडियेशन प्रसंस्करण संयंत्र पैक हाऊस, रीफर वैन आदि स्थापना हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष तक या ऋण वापसी की तिथि तक, जो भी पहले हो, अधिकतम राशि रूपये 100 लाख की सीमा तक ब्याज अनुदान देय होगा।

iii. **सावधि ऋण पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान :–** शत–प्रतिशत कृषकों के स्वामित्व वाली इकाईयों या कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी या इस प्रकार के अन्य कृषक संगठनों को 1 प्रतिशत की अतिरिक्त दर से अधिकतम 100 लाख रुपये की सीमा तक कुल ब्याज अनुदान देय होगा।

iv. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों को सावधि ऋण पर अतिरिक्त ब्याज अनुदान :–** शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला तथा 35 वर्ष से कम आयु वाले युवा उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाईयों को 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।

v. **टी.एस.पी. या पिछड़े जिलों को सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान :–** राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित जनजाति उपयोजना या पिछड़े जिलों में इकाई स्थापना पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय होगा।

vi. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत पूंजी अनुदान के लिए स्वीकृत परियोजना ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी।

vii. बशर्ते बिंदु संख्या (i) तथा (ii) में प्रस्तावित पूंजी एवं ब्याज अनुदान हेतु पात्र सभी कृषि प्रसंस्करण इकाईयों जो कि कृषक या उनके संगठनों के अलावा अन्य पात्र व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई हैं, को कुल अनुदान 100 लाख रुपये की सीमा से अधिक देय नहीं होगा। कृषक या उसके

संगठनों के लिये यह सीमा 5 साल की अवधि में 200 लाख रूपये होगी। पृथक ठांचागत परियोजनाओं के लिये यह अनुदान सीमा 150 लाख रूपये होगी।

viii. उपरोक्त बिंदु संख्या (iii), (iv) या (v) में वर्णित अतिरिक्त अनुदान उपरोक्त वर्णित कुल अनुदान की सीमा में ही देय होगा।

विद्युत संबंधी रियायते एवं सौर उर्जा को अपनानाः–

i. **विद्युत प्रभार अनुदानः** इस नीति के तहत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली इकाईयों को 1 रू. प्रति किलो वाट की दर से अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष प्रति इकाई अधिकतम 5 वर्ष तक विद्युत प्रभार का पुनर्भरण किया जाएगा।

ii. **सौर ऊर्जा अपनाने पर वित्तीय सहायताः** इस नीति के अंतर्गत पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाले उद्यमियों को सौर ऊर्जा सयंत्र की लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता/पूंजी अनुदान देय होगा।

iii. एक उद्यम व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में, अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा में, उक्त बिंदु (i) तथा (ii) में उल्लेखित दोनों सहायता में से किसी एक सहायता का लाभ ले सकता है।

iv. उद्यम जो परियोजना आरंभ होने के बाद सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करता है वह पैरा (ii) के अन्तर्गत विकल्प देते समय पूर्व में भुगतान किये गये विद्युत प्रभार अनुदान को घटाकर शेष सहायता राशि के लिए पात्र होगा।

अनुदान स्वीकृति के लिए सामान्य शर्तें :–

i. ब्याज अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान और अनुसूचित बैंक द्वारा वित्त पोषित इकाईयों के लिए ही देय होगा।

ii. सावधि ऋण के साथ क्रियाशील पूंजी या नगद साख सीमा या इसी प्रकार की अन्य स्वीकृत या स्वीकृत की जाने वाली साख सुविधाओं पर कोई ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

iii. ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए ऋणदात्री संस्था द्वारा सावधी ऋण खाते को एन.पी.ए. (गैर निष्पादित आस्तियां)में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए।

iv. बकाया ऋण राशि में से अनुदान राशि घटाने के पश्चात् शुद्ध बकाया ऋण राशि पर ही ब्याज अनुदान उपलब्ध होगा और ऋण पुर्नभुगतान अवधि या ऋण खाते की निरन्तरता या 5 वर्ष, जो भी पहले हो, तक ही देय होगा।

v. अवसंरचना प्रकार सहित किसी परियोजना जिनमें विभिन्न दर से अनुदान की पात्र श्रेणी के आवेदक सहस्वामित्व रखते हो, उन्हें पात्रता की निम्न दर पर अनुदान उपलब्ध होगा।

vi. अनुदान राशि वापसी के मामले में यदि कोई वित्तीय संस्था/बैंक विपणन बोर्ड द्वारा सूचना देने के 30 दिवस में अनुदान राशि वापस नहीं करता हैं तो बैंक/संस्था को देरी की अवधि के लिए ऋण पर देय ब्याज की दर से अनुदान राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा। किसी भी हालत में प्रवर्तक/उद्यमी से इसकी वसूल नहीं होगी।

vii. सभी प्रभावी नियमों/कानूनों की पालना करना, परियोजना स्थापित करने एवं संचालन हेतु संबंधित प्राधिकारी से सक्षम अनुमति प्राप्त करने तथा परियोजना को बीमित कराने का दायित्व प्रवर्तक का होगा। प्रवर्तक/उद्यमी द्वारा किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

viii. सावधि ऋण के पुनर्भुगतान में अनियमितता होने एवं चूक अवधि में ब्याज अनुदान के लिए अपात्र होने पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्यमी/प्रमोटर को सूचित करना होगा।

ix. अगर कोई उद्यम भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक/वित्तीय संस्था को ब्याज और सावधि ऋण की किस्त भुगतान करने में डिफॉल्टर हो जाता है तो यह समय 5 वर्ष की अवधि में से कम कर दिया जायेगा। चूक समय की गणना त्रैमास को इकाई मान कर की जायेगी।

x. दण्डनीय ब्याज या अन्य शुल्को पर ब्याज अनुदान देय नहीं होगा।

xi. इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन/संचालन के तीन माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन पत्र को सम्पूर्ण लाभ अवधि में से देरी की अवधि को घटा कर आवेदन पत्र को स्वीकार किया जा सकेगा और ब्याज अनुदान व विद्युत अनुदान को शेष रही अवधि तक कम कर दिया जायेगा।

xii. ब्याज एवं विद्युत अनुदान का पुर्नभरण इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने/सेवा प्रदान करने का प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् ही किया जायेगा।

xiii. प्रवर्तक/उद्यमी द्वारा गलत तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर अनुदान प्राप्त किये जाने पर वह अनुदान राशि वापस करने को उत्तरदायी होगा। इस आशय का शपथ पत्र उद्यमी/प्रवर्तक द्वारा अनुदान दावे के साथ प्रस्तुत करना होगा।

xiv. प्रवर्तक/उद्यमी सावधि ऋण की निरन्तरता अवधि में अनुदान के उद्दश्यों के अलावा परियोजना स्थल व परियोजना को अलग नहीं करेगा। इस आशय का शपथ पत्र ऋण अनुदान आवेदन पत्र के साथ उद्यमी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

<u>वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र/परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रकियाः–</u>

i. परियोजना का संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् ही ब्याज एवं विद्युत प्रभार अनुदान हेतु आवेदन किया जावेगा।

ii. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब–लिंक http://agriculture.rajasthan.gov.in./content/agriculture/en/RSAMB-dep/rajasthan-agro-processing-agri-business-and-agri-export-promotion.html. पर ऑन–लाईन पंजीकरण कराना होगा।

iii. पंजीकरण के पश्चात् आवेदक को आगे के कॉलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।

iv. अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित (save) करना होगा।

v. आवेदक को पूंजी अनुदान दावों के साथ प्रस्तुत किये जा चुके दस्तावेंजो को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पूंजी अनुदान स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करनी होगी।

vi. सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहॉ भी अपलोड किये जाने हैं विहित साइज में ही करें।

vii. सभी सूचनाए सफलता पूर्वक भरने के पश्चात् भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिन्ट प्राप्त करे। **परिशिष्ट–(ii) एवं/या (iii)** के अनुसार आवेदन पत्र पर अपनी पासपोर्ट साईज फोटो लगाते हुए सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियॉ या जहां आवश्यक हो नोटेरी से सत्यापित कराकर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी जिले के नोडल अधिकारी को ऑन–लाईन प्रस्तुत करने के 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा। जिला मुख्यालय स्थित मंडी समिति का सचिव जिले का नोडल अधिकारी होगा।

<u>अनुदान स्वीकृति प्रकियाः–</u>

i. ब्याज एवं विद्युत प्रभार अनुदान परियोजना पूर्ण होने एवं परियोजना का संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात् ही स्वीकृत किये जायेंगे।

ii. प्रार्थना–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त जिला नोडल अधिकारी दस्तावेंजो की चैक लिस्ट के अनुसार जांच कर आवेदक को रसीद एवं सामान्य निर्देश प्रवर्तक/उद्यमी को देगा **परिशिष्ट –(ix)**।

iii. जिला नोडल अधिकारी आवेदक की विश्वसनियता, आवेदन पत्र के तथ्यों परियोजना स्थल ,बैंक ऋण स्वीकृति विवरण को 15 दिवस में सत्यापित करेगा।

iv. तथ्यों के सत्यापन एवं आवेदन पत्र परिपूर्ण पाये जाने पर जिला नोडल अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ सदस्य सचिव DLSC को प्रेषित करेगा।

v. तथ्यों की जॉच एवं आवेदन पत्र परिपूर्ण पाये जाने पर सदस्य सचिव सम्पूर्ण पत्रावलियों को अध्यक्ष DLSC को अनुदान स्वीकृति हेतु मिटिंग की तिथि निर्धारण अथवा SLSC को प्रार्थना–पत्र अग्रेषित करने के लिए जो भी लागू हो प्रस्तुत करेगा जैसा भी लागू हो।

vi. DLSC की द्विमासिक बैठक इस अवधि में प्राप्त प्रस्तावों के निस्तारण हेतु आयोजित की जावेगी। यदि विचार योग्य आवेदनों को संख्या पर्याप्त है तो समिति के अध्यक्ष की अनुमति से आवेदकों को त्वरित लाभ देने हेतु प्रतिमाह बैठक आयोजित की जा सकती है।

vii. सक्षम समिति योजना के प्रावधानों के अनुरुप ऑन–लाईन आवेदन के 60 दिन में अनुदान दर एवं लाभ अवधि स्वीकृत करेगी।

viii. यदि आवेदन योजना के दिशा–निर्देशो के अनुसार अनुदान के लिए अपात्र पाया जाता हैं तो आवेदक को 15 दिन का सुनवाई का अवसर दिये बिना उसे निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

ix. आवेदक को DLSC समिति के निर्णय की जानकारी सुनवाई के 15 दिवस की अवधि में दी जानी होगी।

x. निर्धारित समय अवधि में DLSC द्वारा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं करने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकृति/निस्तारण हेतु SLSC को अग्रेषित किया जायेगा।

xi. यदि कोई आवेदक DLSC के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वह निर्णय सूचित होने के 90 दिन में SLSC के समक्ष अपील कर सकता हैं।

xii. चुंकि ब्याज एवं विद्युत प्रभार पुनर्भरण इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/संचालन के पश्चात् ही देय होगा, आवेदन पत्र स्वीकृत करने के पश्चात् सदस्य सचिव DLSC/SLSC द्वारा **परिशिष्ट (iv)** में पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

xiii. पात्रता प्रमाण–पत्र की अवधि इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन/संचालन से 5 वर्ष या ऋण पुनर्भुगतान की अवधि या सावधि ऋण खाता बंद होने, जो भी पहले हो, तक होगी।

xiv. ब्याज एवं विद्युत अनुदान के पुर्नभरण हेतु दावे त्रैमासिक आधार पर जून/सितम्बर/दिसम्बर/मार्च की समाप्ति के पश्चात् प्रतिवर्ष ऑनलाईन प्रस्तुत कर **परिशिष्ट (ii)/(iii)** में दावों की हार्डकॉपी सदस्य सचिव DLSC के कार्यालय में बैंक प्रमाण–पत्र या विद्युत बिल, जो भी लागू हो, के साथ प्रस्तुत करना होगा।

xv. सभी त्रैमासिक दावों को DLSC द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

xvi. यदि सावधि ऋण खाता उपरोक्त वर्णित त्रैमासिक के अन्त से पूर्व ही बंद हो जाता है तो अनुदान दावा बैंक ऋण खाता के बंद होने के तुरंत पश्चात् प्रस्तुत किये जा सकते है लेकिन अग्रिम त्रैमास की समाप्ति के बाद प्रस्तुत दावे अमान्य होंगे।

xvii. उद्यमी/प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत पुर्नभरण के दावे योजना एवं प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देशों में निर्धारित शर्त एवं नियमों की पूर्ति करने के पश्चात् ही स्वीकृत किये जायेंगे।

xviii. सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु अनुदान आवेदन **परिशिष्ट (V)** में प्रस्तुत करना होगा एवं उसमे दिये गये तथ्यों के सत्यापन पश्चात् सदस्य सचिव DLSC/SLSC द्वारा पूंजी अनुदान स्वीकृत हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

<u>अनुदान जारी करने की प्रक्रिया</u>

1. DLSC सदस्य सचिव द्वारा अनुदान राशि जारी की जावेगी।
2. सदस्य सचिव (DLSC) को सभी प्रकार की अनुदान राशि रखने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक/ राजस्थान राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में पृथक खाता संधारित करना होगा तथा पूंजी अनुदान के लिये जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुदान/सहायता राशि जारी करेगा।
3. सदस्य सचिव DLSC अनुदान स्वीकृति पत्र जारी करने के 7 कार्यकारी दिवसो की अवधि में आवेदक उद्यमी एवं बोर्ड मुख्यालय को सूचित करते हुए उसके द्वारा सूचित चालू खाते में जमा हेतु अनुदान राशि जारी करेगें।

परिशिष्ट (i)

आवेदन पत्र की हार्डकॉपी के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

i. निर्धारित प्रपत्र में ब्याज/विद्युत प्रभार पुर्नभरण/अनुदान आवेदन पत्र **परिशिष्ट (ii)** और/ या **परिशिष्ट (iii)**

ii. निर्धारित प्रपत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान प्रार्थना–पत्र **परिशिष्ट (v)**

iii. ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत आवेदन –पत्र की मुद्रित प्रति

iv. पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृति पत्र की प्रति

v. कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञा पत्र की प्रति (यदि लागू हो)

vi. उद्यम/आवेदक का सावधि ऋण खाते से संबंध जमा खाते का निरस्त चैक जिसमें अनुदान पुर्नभरण वांछित हो

vii. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से अनुदान व वित्तीय सहायता प्राप्त करने एवं कम्पनी की ओर से हस्ताक्षर के लिए कम्पनी बोर्ड का संकल्प पत्र/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हेतु फर्म की ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के लिए प्राधिकार पत्र

viii. राज्य सरकार की योजना से समान प्रकार के अवयवों के लिए अनुदान प्राप्त करने/नहीं करने का शपथ पत्र **परिशिष्ट –(vi)**

ix. त्रैमास के दौरान ब्याज के संबंध में बैंक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र **परिशिष्ट (vii)**

नोट :– दस्तावेजों की सूचि प्रतिकात्मक है न कि परिपूर्ण । दस्तावेजों के सभी फोटो प्रतियां स्व प्रमाणित होनी चाहिये।

स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

परिशिष्ट (ii)

ब्याज अनुदान आवेदन पत्र

(अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यावसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019)

1.	नाम उद्यमी	
2.	पूंजी अनुदान स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक ..... (प्रति संलग्न करें)	
3.	अनुदान स्वीकृत ..... एस.एल.एस.सी. / डी.एल.एस.सी.	
4.	यदि उद्यम का प्रमोटर युवा उद्यमी (35 वर्ष से कम) हैं। (ऋण स्वीकृति की दिनांक को)	जन्म तिथि ..... प्रमाण–पत्र (संलग्न करें) ऋण स्वीकृति दिनांक .... को उम्र .....
5.	यदि प्रमोटर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (शत प्रतिशत स्वामित्व का है)	जाति प्रमाण–पत्र (संलग्न करें)
6.	यदि प्रमोटर / उद्यमी. टी.एस.पी. अथवा पिछड़ें जिले का है।	अधिसूचना की प्रति (संलग्न करें)
7.	यदि उद्यमी महिला है (शत प्रतिशत स्वामित्व)	हां या नहीं
8.	उद्यम का वर्ग	कृषक या कृषक संगठन कृषक के अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाई अवसंचरण इकाई
9.	परियोजना पूर्ण होने की दिनांक	
10.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की दिनांक	प्रथम बिल की प्रति (संलग्न करें)
11.	वित्त पोषक बैंक / वित्तीय संस्था का नाम बैंक का ई–मेल आईडी. स्वीकृति सावधि ऋण मय दिनांक सावधि ऋण की प्रथम किस्त वितरण सावधि ऋण खाता संख्या आईएफएससी. कोड संख्या आईएफएससी. बैंक शाखा	 रूपये ..... लाख दिनांक दिनांक
12.	राज्य सरकार / केन्द्र सरकार की अन्य किसी वित्तीय संस्था से प्राप्त सहायता का विवरण	हां या नहीं यदि हां तो प्रति (संलग्न करें)
13.	घोषणा मैं ..... पुत्र श्री ..... अधिकृत प्रतिनिधि / मालिक / साझेदार / निदेशक / प्रवर्तक घोषणा करता हूं कि मैंरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं विवरण, प्रपत्र, मेरी जानकारी के अनुसार सही है, न ही मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं और मेरी फर्म द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना–2019, के अंतर्गत समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे उद्यम की ओर से आवेदन व अन्य विवरण व दस्तावेज प्रस्तुत करने व हस्तान्तरित करने के लिये अधिकृत किया गया है।	

दिनांकः–

स्थानः–

हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि
नाम .....
पद .....
संस्था की मोहर

स्व प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

परिशिष्ट (iii)

विद्युत प्रभार पुर्नभरण अनुदान आवेदन–पत्र

(राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यावसाय एवं कृषि निर्यात नीति–2019 के अन्तर्गत)

1.	नाम का उद्यमी पता ई–मेल आईडी. मोबाईल नं. आधार नं. पैन नं.	
2.	पूंजी अनुदान स्वीकृति पत्र क्रमांक व दिनांक अनुदान स्वीकृतकर्ता SLSC/DLSC	प्रति संलग्न करें।
3.	परियोजना की प्रकृति (कृषि प्रसंस्करण/ कृषि आधारभूत संरचनात्मक)	
4.	विद्युत कनेक्शन स्वीकृति दिनांक	
5.	विद्युत कनेक्शन चालू करने की दिनांक	
6.	कुल विद्युत भार	
7.	विद्युत वितरण निगम का पता	
8.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की दिनांक	प्रथम बिल की प्रति (संलग्न करें)
9.	इकाई के विस्तार/विविधिकरण के कारण विद्युत भार में वृद्धि की दिनांक ..... भार	
10.	परियोजना की लोकेशन/क्षेत्र	
11.	परियोजना की जी.वी.एस. रीडिंग	

मैंने योजना की शर्तों एवं निदेर्शों को पढ कर समझ लिया है तथा इनकी पालना हेतु प्रतिबंध हूॅ। मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी व समझ के अनुसार सही है।

दिनांकः–

स्थानः–

हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि

नाम .....

पद .....

संस्था की मुद्रा

परिशिष्ट (iv)

ब्याज/विद्युत प्रभार अनुदान हेतु पात्रता प्रमाण–पत्र

(सदस्य सचिव, एसएलएससी./डीएलएससी.द्वारा जारी किया जाना है)

(राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019 के अधीन)

मैसर्स..... (नाम व पता) ..... (स्थान का पता) ..... पर ..... उत्पाद का नाम/अवसंरचना/निर्माण/स्थापना हेतु 5/6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान एवं /या रूपया 1.00 प्रति किलोवाट की दर से विद्युत प्रभार अनुदान अन्तरिम रूप से निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता हैः–

1. पात्रता प्रमाण–पत्र की अवधि इकाई द्वारा व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने/संचालित करने से प्रारम्भ होकर 5 वर्ष तक या ऋण पुनर्भुगतान तक या ऋण खाता बन्द होने, जो भी पहले हो, तक होगी।
2. उद्यमी को प्रति वर्ष त्रैमासिक आधार पर माह जून/सितम्बर/दिसम्बर/मार्च की समाप्ति पश्चात् योजना एवं प्रक्रियात्मक दिशा–निर्देश में निर्धारित शर्तो एवं नियमों की पालना करने पर ब्याज एवं विद्युत प्रभार अनुदान का पुर्नभरण किया जावेगा।
3. उपरोक्त वर्णित त्रैमासिक समाप्ति से पूर्व ऋण खाता बन्द होने की स्थिति में दावें तुरन्त प्रस्तुत करने होगे, परन्तु आगामी त्रैमास की समाप्ति के बाद दावे अमान्य होगें।

दिनांकः–

स्थानः–

हस्ताक्षर मय सील

सदस्य सचिव, एसएलएससी./डीएलएससी.

प्रतिलिपि :

1. मैसर्स
2. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी बोर्ड
3. प्रोग्रामर/एस.ओ. डाटा एंट्री

नोट :–

1. यह प्रमाण पत्र गलत प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत करने/मिथ्या निरूपण/छुपाने/धोखाधड़ी करने/संबंधित नीति/योजना की अधिसूचना के शर्त एवं/या नियमों के उल्लंघन करने की दशा में निलंबित किया/वापस लिया/संशोधित किया जा सकता है।
2. आवेदक द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी करने वाला अधिकारी प्रमाण पत्र को प्रत्याहारित कर सकता है।

स्व प्रमाणित
पासपोर्ट साइज
फोटो

परिशिष्ट (v)

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान आवेदन–पत्र

1.	नाम का उद्यमी	
2.	उद्यमी का पता व ई–मेल आईडी.	
3.	उद्यमी का संगठन (कृपया उपयुक्त दस्तावेज संलग्न करें)	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कम्पनी / सोसायटी / अन्य
4.	क्या बोर्ड ऑफ डाईरेक्टरर्स द्वारा (कम्पनी के मामले में) आवेदन को अनुदान हेतु सभी दस्तावेज निस्पादन हेतु अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव से लिया है(यदि हां तो प्रति संलग्न करें)	
5.	पूंजी अनुदान स्वीकृति पत्रांक एवं दिनांक (प्रति संलग्न करें)	
6.	इकाई का स्थान जिसके लिये पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया है।	
7.	वाणिज्यिक उत्पादन / क्रियाशील होने की तिथि	
8.	सौर ऊर्जा संयंत्र पर कुल व्यय	रूपये
9.	सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु सिविल कार्य पर कुल व्यय	रूपये
10.	सिविल कार्य के अतिरिक्त सौर ऊर्जा संयंत्र पर किया गया व्यय	रूपये
11.	वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से जा चुका समय	
12.	सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होने से पूर्व लिया गया विद्युत प्रभार अनुदान	
13.	सिविल कार्य के अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र में किया गया पात्र व्यय	
14.	विद्युत वितरण निगम से स्वीकृति की स्थिति	स्वीकृति क्रमांक दिनांक
	शुद्ध अनुमत मीटरिंग शुद्ध मीटर स्थापित	

मैंने योजना की शर्तों एवं निर्देशों को पढ कर समझ लिया है तथा इनकी पालना हेतु प्रतिबद्ध हूँ। मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी व समझ के अनुसार सही है।

दिनांकः–
स्थानः–

हस्ताक्षर अधिकृत प्रतिनिधि
नाम .....
पद .....
संस्था की मुद्रा

संलग्नः–

1. सौर सयंत्रों के लिए बिलो की सत्यापित प्रतियां
2. सौर ऊर्जा सयंत्रों की वार्षिक मरम्मत का इकरारनामा / बिक्री उपरान्त सेवा सहमति पत्र
3. विद्युत वितरण निगम का स्वीकृति पत्र
4. निवेश का सीए. द्वारा जारी एवं अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र

Annexure (vi)

शपथ पत्र
(100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं/हम ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मालिक/भागीदार/निदेशक/अधिकृत व्यक्ति (पदनाम) मै. ..... (पूर्ण पत्राचार का पता सहित) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि .....

1. मेरे/हमारे द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत कोई अनुदान न तो प्राप्त किया है और न ही प्राप्त करेंगे।
2. मैं/हम संबंधित प्राधिकारी से समक्ष अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करके ही परियोजना का संचालन प्रभावी नियमों/विधि अनुसार ही करेंगे।
3. मैं/हम 5 वर्ष की अवधि तक प्रोजेक्ट को अन्य किसी प्रयोजन हेतु इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है, उसके अंतर्गत ही काम में लिया जावेगा।
4. मैं/हम योजनांतर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट में हमारे द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा इसे निरस्त किया जाता है तो स्वीकृत अनुदान को वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।
5. मैं/हम योजनांतर्गत ब्याज/विद्युत प्रभार पुनर्भरण हेतु सभी दस्तावेज निर्धारित समयावधि तथा दिशा निर्देशानुसार प्रस्तुत कर देंगे।
6. मैं/हम सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु अनुदान लेने पर उसका उपयोग आवेदित परियोजना के लिए ही करूंगा
7. मैं/हम अपना ऋण खाता ऋण की प्रथम किस्त जारी होने की तिथि से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से पूर्व बंद नहीं करेंगे। लोन खाता पहले बन्द करने की स्थिति में ये ऋण अनुदान का लाभ त्याग दूँगा।
8. मैं/हम इस बाबत् सहमति देते हैं कि योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की कोई गारंटी नहीं है, न ही मेरा/हमारा कोई अधिकार है। मैं/हम इस बाबत् की सहमति देते हैं कि अनुदान निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के समक्ष पहले आओ पहले पाओं के आधार पर तथा योजना के दिशा निर्देशों की पालना पर जैसा कि राज्य सरकार/राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पूर्व सूचना या बिना सूचना के अभिप्रेरित और परिवर्तित किया जायेगा।

मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि यदि हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो हमारी अनुदान राशि को जब्त किया जा सकता है अथवा हम उसे वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।

शपथग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम सत्यापित करता/करते हूं/है कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य व सही है तथा शपथ पत्र के किसी भी भाग से छेड़छाड़ नहीं की गई है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। यदि शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की सामग्री झूठी/असत्य पायी जावें तो हम संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार होंगे तथा हमारे विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

अतः आज दिनांक ..... स्थान ..... को सत्यापित किया जाता है।

शपथ ग्रहिता

नोटेरी सील एवं हस्ताक्षर

Annexure (vii)

Bank Certificate for Interest Subsidy

(on Bank's letter head with complete address with phone number and email)

CERTIFICATE FROM FINANCING BANK / INSTITUTION

(to be submitted half yearly basis)

This is to certify that our Bank /Financial Institution has extended term loan to M/s ..... (Name with registered address) their New/Expansion/ diversification/Modernization Project at..... (Complete address of project location) as per details hereunder:

1. Term loan of Rs. ..... has been sanctioned vide our letter dated .....
2. Capital subsidy of Rs. …… (in words ……..) has been received for credit to SFRA maintained for above loan account and no interest is being charged on amount equivalent to this amount.
3. Details of Repayment:

(i) Repayment in total ……. Monthly / Quarterly / Half Yearly /Yearly instalment of Rs. …… each.

(ii) Moratorium period: ……. Months from ……. and starting date of first Instalment repayment ……

1. The unit has commenced the commercial production from …….. (date of first bill).
2. The unit has repaid the Instalment of Term loan amount (Principal & Interest) for period from …….. to …….. us as under :

S. No	Period		Outstanding Principal (Rs.)	Principal/ Instalment Paid by the Party (Rs.)	Interest Charged (Rs.)	Interest Paid by the Party	5%/6% Interest Subsidy Amt. from the date of starting of Commercial production
	From	To					
1							
2							

N.B.: Please attach extra annexure if needed.

It is also certified that

1. Interest mentioned above does not include penal interest or any other charges debited in Term loan A/c.
2. The party has not made any default in repayment of the instalment of the principal amount and interest during the interest subsidy claim.
3. As per "Income recognition & assets classification norms of Reserve Bank of India" the said term loan account is not classified as "Non Performing Assets"(NPA) during the claim period.
4. interest eligible @ 5%/6% for subsidy has been paid by the enterprise and may be sent for credit in the term loan connected current account.

Authorized signatory,
(Name & Designation)
Bank / Branch

Note: If the project has commenced the production during the year then a full year shall be counted from that date of commencement of production to 31st March.

परिशिष्ट (viii)

सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान स्वीकृति पत्र

(DLSC/SLSC के सदस्य सचिव द्वारा जारी किया जाना है)

(राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अंतर्गत)

आदेश

मैसर्स ..... (पंजीकृत कार्यालय का पता)..... .... जो कि ..... के विनिर्माण/..... सेवा प्रदान करने के कार्य में संलिप्त है, को DLSC/SLSC द्वारा दिनांक .....बैठक में .....KW (क्षमता) का ..... (परियोजना स्थान) पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने पर अनुदान राशि रू. ..... (शब्दों में..... .....) स्वीकृत की जाती है।

स्थान :

दिनांक : (हस्ताक्षर मय सील)

सदस्य सचिव
DLSC/SLSC

प्रतिलिपि :

1. मैसर्स
2. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी बोर्ड
3. प्रोग्रामर/एस.ओ. डाटा एंट्री

नोट :

1. यह प्रमाण पत्र गलत प्रकार से तथ्यों को प्रस्तुत करने/मिथ्या निरूपण/छुपाने/धोखाधड़ी करने/संबंधित नीति/योजना की अधिसूचना के शर्त एवं/या नियमों के उल्लंघन करने की दशा में निलंबित किया/वापस लिया/संशोधित किया जा सकता है।
2. आवेदक द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी करने वाला अधिकारी प्रमाण पत्र को प्रात्याहारित कर सकता है।

परिशिष्ट (ix)

ब्याज/विद्युत प्रभार/सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान हेतु प्रवर्तक के लिए दिशानिर्देश

1. व्यक्ति/उद्यमी जिनके द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना 2019 के अन्तर्गत पूजीं अनुदान लिया गया है पात्र होगें
2. परियोजना हेतु सावधि ऋण राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात योजना 2019 की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। पूर्व में स्वीकृत परियोजनाऐं योजना के अंतर्गत अनुदान की पात्र नहीं होगी।
3. ब्याज व विद्युत अनुदान का पुर्नभरण उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उपादन/सेवाऐं प्रदान करना आरम्भ करने एवमं इसका साक्ष्य प्रस्तुत करनें पर ही किया जाएगा।
4 सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष या ऋण पुर्नभुगतान देय अवधि जो भी पहले हो तक एवं अधिकतम रूपये 50 लाख तक देय होगा।
5 शत प्रतिशत कृषको या एफ.पी.ओ./एफ.पी.सी. के स्वामित्व वाली/शत प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला तथा 35 वर्ष से कम आयु वाले युवा उद्यमियों अथवा टी.एस. पी./पिछडे जिलों में स्थापित इकाईयों को एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
6 पूंजी अनुदान का लाभ लेने वाली इकाईयों को एक रूपये प्रतिकिलो वाट की दर से अधिकतम रूपये 2 लाख प्रतिवर्ष, 5 वर्ष तक विद्युत प्रभार का पुर्नभरण किया जावेगा।
7 पूंजी अनुदान हेतु स्वीकृत सावधि ऋण के साथ स्वीकृत होने वाली कैश क्रेडिट लिमिट या ऐसी अन्य सुविधाओं तथा क्रियाशील पूंजी पर ब्याज अनुदान देय नही होगा।
8 पूर्व में निर्मित इकाईयों अथवा मोर्टगेज लोन के पुर्नभरण हेतु ब्याज अनुदान योजना के तहत अनुमत नहीं होगा।
9 अनुदान हेतु पात्र होने के लिए आवश्यक है कि ऋण दात्री संस्था द्वारा सावधि ऋण एन.पी.ए. की श्रेणी में नही रखा गया हो
10 ब्याज अनुदान बकाया ऋण में से अनुदान राशि घटाने के पश्चात शुद्ध बकाया ऋण पर ही उपलब्ध होगा और ऋण पुर्नःभुगतान अवधि या ऋण खाते की निरन्तरता या 5 वर्ष जो भी पहले हो तक ही देय होगा।
11 यदि इकाई ब्याज अनुदान हेतु राज्य की एक से अधिक योजनाओं में पात्र है तो आवेदक अनुदान अथवा सहायता किसी एक योजना से ही ले सकेगा।
12 संरचनात्मक परियोजनाओं सहित परियोजनाएं जो विभिन्न दर से अनुदान की पात्र श्रेणियों के साथ जुडवा मालिकाना हक रखते है उन्हे जो सब से कम अनुदान है वह देय होगा।
13 समस्त लागू कानूनों की पालना करने, परियोजना के निर्माण एवं संचालन हेतु वांछित स्वीकृतियां सक्षम अधिकारियों से प्राप्त करने एवं परियोजना को बीमित कराने की जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी। विधिक प्रावधानों / नियमों /राज्य सरकार, राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, SLSC एवं DLSC उघमी /प्रमोटर द्वारा किसी भी विधिक प्रावधानों / नियमों /राज्य सरकार के निर्देशो के उल्लंघन के लिए राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। वांछित स्वीकृतियों/अनुमतियों की अनुपालना नहीं करने पर अनुदान मय ब्याज वापस लौटाना होगा।

14 यदि उद्यमी बैंक/वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण की किस्त ब्याज के भुगतान में दोषी होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत चूक अवधि को 5 वर्ष की अवधि में से कम कर दिया जावेंगा। चूक अवधि को त्रेमासिक इकाई के समकक्ष मानी जावेगी।

15 दण्डनीय ब्याज/अन्य राशि पर ऋण अनुदान स्वीकृत नही किया जावेगा।

16 अनुदान हेतु आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के 3 माह से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने पर कुल लाभकारी अवधि में से विलम्ब अवधि को ब्याज व विद्युत अनुदान अवधि में से कम किया जाकर, शेष अवधि तक सीमित कर दिया जावेगा।

17 प्रमोटर को अन्य वित्तीय संस्थान से लॉन टेकऑवर की स्थिति में बोर्ड से पूर्वानुमति लेनी होगी।

18 परियोजना उद्वेश्य के अनुसार ही काम ली जा रही है इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुसार की प्रथम किस्त जारी करने के 3 वर्ष के लॉक–इन–पीरीयड में कभी भी परियोजना का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकता है। अवहेलना की स्थिति में अनुदान वापसी सहित वांछित कार्यवाही की जा सकती है। यदि ब्याज अनुदान लिया गया है तो यह अवधि 5 वर्ष या पुर्नभुगतान अवधि पूर्ण होने जो भी पहले हो ,रहेगी।

19 स्वीकृत परियोजना अथवा परियोजना के किसी घटक को छोड़ने/अस्वीकृत करने या परिवर्तन करने की स्थिति में प्रमोटर/उद्यमी उसके अनुदान की राशि लौटाने हेतु उत्तरदायी होगा। उद्यमी/प्रमोटर को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20 प्रमोटर/उद्यमी ऋण अवधि में परियोजना स्थल की भूमि एवं परियोजना को जिस उद्वेश्य से अनुदान दिया गया है उस उद्वेश्य से पृथक नहीं करेगा। प्रमोटर द्वारा ऋण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21 योजना के दिशा निर्देशों की शर्तों की सरकार द्वारा की गई व्याख्या अंतिम होगी। योजना की किसी भी अवधि और शर्त को संशोधित करे, जोड़ने और हटाने का अधिकार सरकार में निहित है । सरकार बिना काई कारण निर्दिष्ट किये किसी भी प्रावधान को प्रतिबन्धित/लागू कर सकती है।

22 योजना के अंतर्गत आवेदन अनुदान की गारंटी नहीं है इस संबंध में एकल स्वामी/उद्यमी/प्रमोटर के अनुदान संबंधी अधिकार सृजित नहीं होते हैं यह फण्ड की उपलब्धता, योजना की निरंतरता एवं राज्य सरकार/विभाग के विवेकाधीन है, जिसमें राजस्थान सरकार बिना किसी सूचना एवं व्याख्या के परिवर्तन कर सकती है।

(स) राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के बिंदु संख्या 13.3 एवं तद्न्तर निर्मित योजना के बिन्दु संख्या 4 के अंतर्गत देय भाड़ा अनुदान योजना के कियान्वयन के लिए दिशा निर्देश

उद्देश्यः–

योजना का उद्देश्य घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में राज्य के उत्पादों की मांग को विस्तारित एवं स्थापित करना है। यह योजना राज्य की सीमा बंदरगाह से दूर होने के कारण निर्यातकों द्वारा प्रेषित माल को बंदरगाह तक भेजने में अतिरिक्त लागत को कम करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत घरेलू व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन/क्रय स्थल से अन्य राज्यों में 300 किमी. से अधिक दूरी पर स्थित बाजारों/क्रेताओं को फल सब्जी व फूलों के अंतर्देशीय परिवहन पर अनुदान सहायता दी जाकर बाजार विस्तार किया जाएगा। भाड़ा अनुदान हेतु पात्र सभी मदों में गुणात्मक एवं जैविक उत्पाद के किसानों व निर्यातकों को अधिक राशि एवं अवधि तक अनुदान दिया जाएगा।

मुख्य प्रावधान

अ. ताजा फल, सब्जी तथा फूलों के निर्यात पर भाड़ा अनुदान

1. **हवाई मार्ग द्वारा निर्यात :–**

1.1 5.00 रुपये प्रति किलो या वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो हवाई भाड़ा अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 10 लाख प्रतिवर्ष, प्रति लाभार्थी अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक देय होगा।

1.2 जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों पर 10 रुपये प्रतिकिलो या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष रुपये 20 लाख की अधिकतम सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक देय होगा।

2. **समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात**

2.1 राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक तथा देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक परिवहन पर भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, प्रत्येक मार्ग के लिए पृथक–पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।

2.2 जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के निर्यात करने पर राज्य के क्रय क्षेत्र/मंडी से देश के समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन तथा देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक समुद्री परिवहन पर पृथक–पृथक भाड़े का 40 प्रतिशत अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय होगा। यह अनुदान अधिकतम रुपये 20 लाख प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक की अवधि के लिए देय होगा।

2.3 सामान्य प्रकार के उत्पादों तथा जैविक उत्पादों को रेफ्रीजरेटेड कन्टेनर से परिवहन करने पर क्रमशः 700 रुपये प्रति टन तथा 1000 रुपये प्रति टन सतहों व समुद्री भाड़े का पृथक–पृथक अनुदान देय होगा। यह अनुदान सामान्य व जैविक उत्पादों के परिवहन पर वास्तविक भाड़े का क्रमशः 25 प्रतिशत व 40 प्रतिशत की अधिकतम सीमा में ही होगा। सामान्य व जैविक उत्पादों पर यह अनुदान क्रमशः 10 लाख रुपये अधिकतम 3 वर्ष के लिए व 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष के लिए देय होगा।

ब. फल, सब्जी एवं फूलों को देश में दूरस्थ बाजारों तक सतही परिवहन पर देय भाड़ा अनुदान

1. फल फूल एवं सब्जियों को दूसरे राज्यों में तथा 300 किमी से अधिक की दूरी तक विपणन हेतु सतही परिवहन करने पर रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान देय होगा। यह अनुदान प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम रुपये 15 लाख अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

2. जैविक रुप से प्रमाणित उत्पादों के लिए रेल भाड़े के आधार पर फलित भाड़े या वास्तविक भाड़े का 40 प्रतिशत, जो भी कम हो, अधिकतम 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुदान देय होगा।

स. मसाले एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात पर भाड़ा अनुदान :–

समुद्री मार्ग से निर्यात पर भाड़ा/परिवहन अनुदान निम्न प्रकार देय होगा–

1 **सामान्य उत्पादों के लिए**

1.1 **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत, अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं

1.2 **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 6000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट /20 मैट्रिक टन वजन)/ 12,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन), अधिकतम रुपये 800 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम अनुदान रुपये 15 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

2 **जैविक उत्पादों के लिए**

2.1 **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से देश के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाड़े का 40 प्रतिशत, अधिकतम 1000 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं

2.2 **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/20,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 1500 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

द. कच्चे कृषि उत्पाद पर भाड़ा अनुदान

1 सामान्य उत्पादों के लिए

1.1 **सतही परिवहन** – क्रय/मंडी क्षेत्र से समुद्री बन्दरगाह तक परिवहन करने पर वास्तविक भाड़े का 20 प्रतिशत अधिकतम 500 रुपये प्रति टन, जो भी कम होगा, अनुदान देय होगा एवं

1.2 **समुद्री परिवहन** – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 5000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/10,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम रुपये 500 प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम अनुदान रुपये 10 लाख प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

2 जैविक उत्पादों के लिए

2.1 सतही परिवहन – क्रय/मंडी क्षेत्र से देश के बन्दरगाह तक सतही परिवहन करने पर वास्तविक सतही भाड़े का 40 प्रतिशत अधिकतम 600 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, का उच्च अनुदान देय एवं

2.2 समुद्री परिवहन – बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक 7,000 रुपये प्रति कन्टेनर (20 फीट/20 मैट्रिक टन वजन)/14,000 रुपये प्रति कन्टेनर (40 फीट/40 मैट्रिक टन वजन) अधिकतम 800 रुपये प्रति टन, जो भी कम हो, अनुदान देय।

अधिकतम भाड़ा अनुदान 20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा।

उपरोक्त सभी भाड़ा अनुदान राजस्थान मूल के उत्पादों के निर्यात/व्यापार पर ही देय होंगे।

सामान्य शर्तें :

1. माल की पहुंच तथा बैंक का वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् ही भाड़ा/परिवहन अनुदान का दावा किया जा सकेगा।
2. यदि जैविक और अजैविक उत्पाद की मिश्रित खेप है और प्रत्येक के लिए अलग–अलग भाड़ा प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित नहीं होता है तो दोनों में से कम दर के उत्पाद के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।
3. यदि इकाई राज्य की एक से अधिक योजनाओं में परिवहन अनुदान के लिए पात्र है तो आवेदक किसी भी एक योजना में अनुदान और उससे जुड़े लाभ ले सकता है।
4. योजना में लागू सभी कानूनों की पालना करना तथा संबंधित प्राधिकारी से व्यापार करने या निर्यात करने के लिए आवश्यक अनुमति लेने और व्यापार का बीमा सुनिश्चित करने की उद्यमी/प्रर्वतक की विधिक जिम्मेवारी होगी। उद्यमी/प्रर्वतक द्वारा किये गये किसी भी विधायी/कानूनी उल्लंघन के लिए रा.रा.कृ.वि.बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
5. घरेलू व्यापार में परिवहन के और निर्यात की दशा में हवाई मार्ग के बिल/लदान बिल/बैंक का वसूली प्रमाण पत्र जारी के तीन महीने में, जो भी बाद में हो, के पश्चात् प्रस्तुत दावों को विलम्बित मानते हुए उन पर अनुदान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
6. समुद्री या हवाई भाड़ा अनुदान प्राप्त करने वालों को सीमा शुल्क कार्यालयों से हवाई व समुद्री बंदरगाह/कार्गो कॉम्पलेक्स राज्य या राज्य के बाहर अन्य किसी बंदरगाह से माल की सीमा शुल्क निकासी का प्रमाण पत्र लेना होगा।
7. सभी प्रकार के भाड़ा/परिवहन अनुदान राजस्थान मूल के उत्पादों पर ही देय होगा।
8. यदि प्रवर्तक/उद्यमी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अनुदान प्राप्त किया गया तो गलती सिद्ध होने पर वह अनुदान राशि वापस करने को उत्तरदायी होगा। इस आशय का शपथ पत्र उद्यमी/प्रवर्तक को अनुदान दावों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
9. एकल निर्यातक/फर्म/कंपनी/संस्था को योजना की कार्यावधि के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर योजना के परिसंचालन अवधि में भाड़ा/परिवहन अनुदान प्राप्त करने की अनुमति दी जावेगी। यदि कोई व्यक्ति जिसने योजना के तहत परिवहन अनुदान का लाभ उठाया है तथा वह किसी अन्य उद्यम/फर्म में भागीदार, निदेशक, सदस्य के रूप में पाया जाता है तो अन्य उद्यमी फर्म को अनुदान का लाभ नहीं दिया जावेगा और यदि गलत विवरण या तथ्यों को छुपाकर लाभ उठाया गया हो तो लाभार्थी/उद्यम देय अनुदान राशि मय 12 प्रतिशत की ब्याज दर जमा कराने

का उत्तरदायी होगा। मांग कारित होने के तीन माह में अनुदान राशि वापस न करने पर यह राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

10. किसी भी दावे की वसूली या अस्वीकृत किये जाने पर आवेदक उद्यमी को सूचना प्राप्ति के 15 दिवस में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावेगा।

भाड़ा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया

वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना–पत्र/परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

1. वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को वेब–लिंक http://agriculture.rajasthan.gov.in./content/agriculture/en/RSAMB-dep/rajasthan-agro-processing-agri-business-and-agri-export-promotion.html. पर ऑन–लाईन पंजीकरण कराना होगा।
2. लॉग–इन (पंजीकरण) के पश्चात् आवेदक को आगे के कॉलम व पृष्ठों में चाही गई सूचना भरनी हैं।
3. अगला पृष्ठ शुरु करने से पूर्व प्रत्येक पृष्ठ की सूचना को सुरक्षित (save) करना होगा।
4. आवेदक को संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची में से मूल दस्तावेजों के रूप में वर्णित दस्तावेज केवल प्रथम अनुदान दावे के साथ ही प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है एवं आगामी आवेदनों के साथ निर्यात की श्रेणीनुसार (हवाई/समुद्री/सड़क/रेल) शेष दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होगें।
5. **परिशिष्ट (i)** में उल्लेखित सभी दस्तावेंज/सूचनाए जहॉ भी भरे जाने हैं दिए हुए कॉलम की साईज में ही भरे।
6. सभी सूचनाए सफलता पूर्वक भरने के पश्चात् इनका प्रिन्ट प्राप्त करे तथा अपनी पासपोर्ट साईज फोटो के साथ **परिशिष्ट (i)** में उल्लेखित सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित/ नोटेरी से सत्यापित प्रति, जहां आवश्यक हो, कराकर के **परिशिष्ट–(ii)** के अनुसार प्रार्थना–पत्र की हार्डकॉपी के साथ जिला नोडल अधिकारी को ऑन–लाईन आवेदन करने के 15 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् जिला नोडल अधिकारी **परिशिष्ट (i)** में उल्लेखित दस्तावेंजो की चैक लिस्ट के अनुसार जांच कर, आवेदक के लिये अनुदान प्राप्त करने के अनुदेश **परिशिष्ट (vi)** के साथ आवेदक को प्राप्त रसीद देगा।

अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया :–

1. जिला नोडल अधिकारी की विश्वसनियता एवं आवेदन–पत्र में दिए गए तथ्यों का संबंधित मंडी सचिव से सत्यापन करायेंगे तथा कन्साईनमेंट के उद्गम स्थल 15 दिवस में सत्यापित करेगा।
2. तथ्यों के सत्यापन एवं आवेदन पत्र परिपूर्ण पाये जाने पर जिला नोडल अधिकारी अपनी टिप्पणी के साथ सदस्य सचिव DLSC को प्रेषित करेगा।
3. सदस्य सचिव अनुदान प्रस्ताव के योजना के क्रम में तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप परिपूर्ण होना सुनिश्चित करेगें।
4. परिपूर्ण प्रार्थना–पत्र को सत्यापित करने के पश्चात् सदस्य सचिव सभी पत्रावलियों को अध्यक्ष जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति को 15 दिवस की अवधि में DLSC की मिटिंग की तिथि निर्धारण हेतु प्रस्तुत करेगा।

5. DLSC नीति के प्रावधानों के अनुरुप ऑन–लाईन आवेदन के 60 दिन की अवधि में अनुदान स्वीकृत करेगी।

6. DLSC की द्विमासिक बैठक इस अवधि में प्राप्त प्रस्तावों के निस्तारण हेतु आयोजित की जावेगी। यदि विचार योग्य आवेदनों को संख्या पर्याप्त है तो समिति के अध्यक्ष की अनुमति से आवेदकों को त्वरित लाभ देने हेतु प्रतिमाह बैठक आयोजित की जा सकती है।

7. सदस्य सचिव द्वारा अनुदान स्वीकृति के 7 दिवस की अवधि में परिशिष्ट–V में स्वीकृति जारी की जावेगी।

8. यदि योजना के दिशा–निर्देशान्तर्गत प्रार्थना–पत्र अनुदान के लिए अपात्र पाया जाता हैं तो उसे 15 दिन का सुनवाई का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं कर सकेगें।

9. जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के निर्णय के विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु आवेदक को 15 दिवस का समय दिया जायेगा।

10. निर्धारित समय अवधि में (DLSC) द्वारा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नहीं करने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकृति/निस्तारण हेतु (SLSC) को स्थानान्तरित करना होगा।

11. यदि कोई आवेदक DLSC के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो वह निर्णय सूचित होन के 90 दिन में (SLSC) को अपील कर सकता हैं।

12. परिवहन अनुदान प्राप्त किये जाने का त्रैमासिक दावा जुन/सितम्बर/दिसम्बर/मार्च माह की समाप्ति पश्चात् ऑनलाईन प्रस्तुत कर पूर्व में दी गई प्रक्रिया अपनाते हुये परिशिष्ट (ii) में दावें की हार्डकॉपी संबंधित जिला नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

13. उद्यमी/प्रवर्तक द्वारा योजना एवं परिचालन के दिशा–निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर ही अनुदान स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :–

1. DLSC सदस्य सचिव द्वारा अनुदान राशि जारी की जावेगी।
2. सदस्य सचिव (DLSC) को सभी प्रकार की अनुदान राशि रखने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक /राजस्थान राज्य सहकारी बैंक/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में पृथक खाता संधारित करना होगा तथा पूंजी अनुदान के लिये जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अनुदान/सहायता राशि जारी करेगा।
3. सदस्य सचिव DLSC अनुदान स्वीकृति पत्र जारी करने के 7 कार्यकारी दिवसो की अवधि में आवेदक उद्यमी एवं बोर्ड मुख्यालय को सूचित करते हुए उसके द्वारा सूचित चालू खाते में जमा हेतु अनुदान राशि जारी करेगें।

दस्तावेंजो की सूची

प्रथम अनुदान दावों के साथ

(अ) मुख्य दस्तावेज

1. आधार कार्ड
2. निगमन प्रमाण–पत्र, ए.ओ.ए.एवं एम.ओ.ए./साझेदारी विलेख मय पंजीयन प्रमाण–पत्र
3. कृषि उपज मण्डी समिति के अनुज्ञा पत्र की प्रति (जहॉ लागू हो)
4. बैंक खाते का विवरण एवं निरस्त चैंक
5. आयात–निर्यात प्रमाण–पत्र की प्रति
6. एपीडा द्वारा अनुमोदित वस्तुओं के निर्यात के लिए एपीडा पंजीकरण प्रमाण–पत्र (जहॉ लागू हो)
7. मसाला निर्यात के संबंध में स्पाईस बोर्ड का निर्यातक पंजीकरण प्रमाण–पत्र(जहॉ लागू हो)
8. निर्यात प्रोत्साहन परिषद (Export Promotion Council) से संबंधित उत्पाद (SHEFEXIL, IOPEPC, CAPEXIL etc.) का पंजीकरण प्रमाण–पत्र (जहां लागू हो)
9. राज्य की किसी अन्य योजना के तहत समान मदों के लिए अनुदान का उपयोग व मांग न करने का शपथ–पत्र **(परिशिष्ट–(iv)**

(ब) अनुदान दावों के साथ दस्तावेंज

- **वायु मार्ग द्वारा निर्यात करने पर**

1. अनुदान प्रार्थना पत्र **(परिशिष्ट–ii)**
2. पैकेजिंग सूची मय इन्वाइस
3. निर्यातक का उत्पाद के राजस्थान उद्गम होने का मय क्रय–स्त्रोत की जानकारी के घोषणा–पत्र
4. कृषको से सीधी खरीद पर उनकी की सूची **(परिशिष्ट–iii)**
5. कस्टम अधिकारी द्वारा जारी शिपिंग बिल मय पैंकिग लिस्ट जिसमें कि वस्तु का नाम एवं वजन पृथक–पृथक अंकित हो।
6. हवाई बिल की प्रति
7. जैविक उत्पादों के लिए एपीडा से अनुमोदित संस्था का प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र
8. प्रत्येक पैकेट पर जैविक प्रमाणीकरण लोगो लगाये जाने का प्रमाण
9. बैंक में धन राशि प्राप्ति प्रमाण–पत्र (Bank Realisation Certificate) जिसमें निर्यातित उत्पाद का विदेशी एवं भारतीय मुद्रा में प्राप्त मूल्य राशि दर्शाई गई हो।

- **समुद्री मार्ग से निर्यात करने पर**

1. अनुदान प्रार्थना पत्र **(परिशिष्ट–ii)**
2. पेकेजिंग सूची मय इन्वाइस
3. निर्यातक का उत्पाद के राजस्थान उद्गम होने का मय क्रय–स्त्रोत की जानकारी के घोषणा–पत्र
4. कृषको से सीधी खरीद पर उनकी की सूची **(परिशिष्ट–iii)**
5. जैविक उत्पादों के लिए एपीडा से अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण–पत्र
6. प्रत्येक पैकेट पर जैविक प्रमाणीकरण लोगो लगाये जाने का प्रमाण
7. बैंक का वसूली प्रमाण–पत्र (Bank Realisation Certificate) जिसमें निर्यातित उत्पाद का विदेशी एवं भारतीय मुद्रा में वास्तविक मूल दर्शाये गया हो।
8. रेलवे/कार्गो कम्पनी द्वारा जारी भाड़ा बिल/प्रमाण–पत्र की प्रति (जो भी लागू हो)
9. लदान बिल (Bill of Lading) की प्रति

10. कस्टम अधिकारी द्वारा जारी शिपिंग बिल मय पैंकिग लिस्ट जिसमें कि वस्तु का नाम एवं वजन पृथक–पृथक अंकित हो।
11. खरीद चालान की प्रति

(स) सड़क/रेल से घरेलू व्यापार

1. अनुदान प्रार्थना पत्र **(परिशिष्ट–ii)**
2. उत्पाद के राजस्थान उद्गम होने का मय क्रय–स्त्रोत की जानकारी के घोषणा–पत्र
3. कृषको से सीधी खरीद पर उनकी की सूची **(परिशिष्ट–iii)**
4. जैविक उत्पादों के लिए एपीडा से अनुमोदित प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण–पत्र
5. प्रत्येक पैकेट पर जैविक प्रमाणीकरण लोगो लगाये जाने का प्रमाण
6. बैंक द्वारा जारी उत्पाद की मूल्य प्राप्ति प्रमाण पत्र
7. रेलवें/कार्गो कम्पनी द्वारा जारी भाड़ा बिल/प्रमाण–पत्र (जहॉ लागू हो)
8. क्रेता द्वारा जारी बीजक/विक्रय स्थल की मण्डी के आढतिये द्वारा जारी विक्रय पर्ची की प्रति
9. टोल नाका द्वारा जारी टोल शुल्क की प्रति (यदि लागू हो)
10. क्रय बीजक की प्रति

नोटः–

1. प्रथम भाड़ा दावों को प्रस्तुत करने बाद दस्तावेंजो की सूची में उल्लेखित बुनियादी दस्तावेंजो को बाद के दावों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
2. दस्तावेंजो की सभी प्रतियॉ स्वः प्रमाणित होनी चाहिए।
3. जहॉ भी आवश्यकता हो दस्तावेंजो की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी।
4. प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेंजो की सूची केवल सांकेतिक है, सम्पूर्ण नहीं है, आवश्यकतानुसार इसे बदला या संशोधित किया जा सकता हैं।

Self Attested Passport Size Photograph

Annexure – (ii)

Application Form for Freight Subsidy

(under Rajasthan Agro Processing Agri Business and Agri Export Policy 2019)

1.	Name of the Enterprise	
2.	Office Address with pin code No: Tele No. : (M) No. : Email Id : Aadhar No. PAN No.	
3.	Factory/Works Address with pin code No: Tele No. : (M) No. : Email Id :	
4.	Constitution of the Enterprise	Proprietorship/ Partnership/ Company/ Society/ Others
5.	Name, address & contact details of the Promoter	
6.	Name, designation & contact details of the Authorized Person	
7.	EM No. & Date (MSME Part-II)	EM No.: Date:
	7.1 Items Exported	
8.	(A) Details of Exported Goods	
	1)Items exported in consignment	
	2) Name and address of Port/Airport.	
	3) Name of Country where export done	
	4)Quantity of Product/Item Exported	
	5) Date of Export	
	6) Pls indicate if produce is organic	

Proof of purchase from Rajasthan (Invoice and Amount Paid Receipt)

Sr. No.	Name of Party	Bill No. & Date.	Item/ Commodity	Qty. In kgs.	Rate Per kg.	Amount In Rs.	Amount paid in Cash / cheque.

Details of shipment /summary of shipment Products Exported:

Sr. No.	Destination Country	Invoice no. /Dt.	Qty.	Amount In Rs.	Shipping Bill No. / Dt.	Air way Bill No./Dt.	Amount In Rs.	Bank Realisation in Date & Amt. (Rs./USD)

Proof of sale at a place in other state beyond 300 kms.

Sr. No.	Name of Party	City and State	Distance from place of purchase or sending the consignment	Item/ Commodity	Qty. In kgs.	Rate Per kg.	Amount In Rs.	Amount paid cheque.no./Dt	Freight paid (Rs.)

Sale slip or mandi slip should be enclosed as proof. Toll receipts should also be enclosed. (if applicable)

It is declared that all the produce sent/exported are of Rajasthan origin.

Signature of the Applicant /

Authorised person with designation and seal

Annexure (iii)

Details of Farmers from Whom Agri Commodities Bought

S. No.	Name of Farmer	Address	Commodities	Quantity (Kgs)	Purchase Rate	Total Payment	Payment made in Cash/Cheque

It is declared that all the produce bought is of Rajasthan origin.

Signature of the Applicant /

Authorised person with designation and seal

शपथ पत्र
(100 रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

मैं/हम ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी ..... मालिक/भागीदार/निदेशक/अधिकृत व्यक्ति (पदनाम) मै. ..... (पूर्ण पत्राचार का पता सहित) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूं कि .....

1. मेरे/हमारे द्वारा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अतिरिक्त राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत कोई अनुदान न तो प्राप्त किया है और न ही प्राप्त करेंगे।
2. मैं/हम संबंधित प्राधिकारी से समक्ष अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करके ही निर्यात/घरेलू व्यापार का प्रारंभ तथा संचालन प्रभावी नियमों/विधि अनुसार ही करेंगे।
3. मैं/हम योजनांतर्गत स्वीकृत अनुदान के दस्तावेजों में हमारे द्वारा कोई परिवर्तन पाया जाता है अथवा कन्साईनमेंट/व्यापार निरस्त किया जाता है तो स्वीकृत अनुदान को वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।
4. मैं/हम योजनांतर्गत कन्साईनमेंट/व्यापार करने के पश्चात् सभी दस्तावेज निर्धारित समयावधि तथा दिशा निर्देशानुसार प्रस्तुत कर देंगे।
5. मैं/हम आपको सूचित अपना व्यापार खाता न्यूनतम 3/5 वर्ष की अवधि से पूर्व बंद नहीं करेंगे। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन पर अनुदान दावें के साथ पृथक से इंगित करते हुए सूचित करेंगे। इसके अभाव में अनुदान दावे में देरी या त्रुटि होने पर हम स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. मैं/हम इस बाबत् सहमति देते हैं कि योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि की कोई गारंटी नहीं है, न ही मेरा/हमारा कोई अधिकार है। मैं/हम इस बाबत् की सहमति देते हैं कि अनुदान निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा तथा जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति के समक्ष पहले आओ पहले पाओं के आधार पर तथा योजना के दिशा निर्देशों की पालना पर ही लिया जा सकेगा।
7. जो कि राज्य सरकार /राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा योजना के प्रावधानों/दिशा निर्देशों में सूचना या बिना सूचना दिए परिवर्तन किया जा सकेगा। मैं/हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि यदि हमारे द्वारा उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है तो हमारी अनुदान राशि को जब्त किया जा सकता है अथवा हम उसे वापस लौटाने हेतु बाध्य होंगे।

शपथ ग्रहिता

<u>सत्यापन</u>

मैं/हम सत्यापित करता/करते हूं/है कि शपथ पत्र में वर्णित समस्त जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य व सही है तथा शपथ पत्र के किसी भी भाग से छेड़छाड़ नहीं की गई है और न ही कोई तथ्य छिपाया गया है। यदि शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की सामग्री झूठी/असत्य पायी जावें तो हम संयुक्त एवं पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार होंगे तथा हमारे विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी।

अतः आज दिनांक ..... स्थान ..... को सत्यापित किया जाता है।

शपथ ग्रहिता

नोटेरी सील एवं हस्ताक्षर

Annexure – (v)

Freight/Transport Subsidy Sanction Letter

(To be issued by Member Secretary of DLSC)

(Under Rajasthan Agro-processing, Agri-business and Agri-export Promotion Policy, 2019)

Order

A subsidy amount of Rs…….. (In words ……) is hereby sanctioned by the DLSC in the meeting dated …… to M/s ……. (with registered office address) for the exports/domestic transport of …… (Type of commodity) to destination …….. (Importing country/place in other State) during from …… to …… . The exporter/trader has availed a subsidy amounting Rs. …….. during …… (Year).

Place :

Date : (Signature with Seal)
Member Secretary
District Level Screening Committee"

CC:

1. M/s …….
2. FA/CAO, RSAMB
3. Programmer/SO for data entry

Note:

1. This certificate is liable to amendment/ suspension/ revocation, if obtained on misrepresentation or concealment of facts or by fraud or on breach of any of the terms and conditions, mentioned in the relevant policy/scheme notification.
2. This certificate may be revoked by the issuing authority in case the applicant violates any of the conditions of the Scheme.

Place :

(Signature with Seal)
Member Secretary

Date :

प्रवर्तक के लिए भाड़ा अनुदान दावा प्राप्त करने के अनुदेश

1. कृषि जिन्सों के घरेलू/निर्यात में एकलस्वामी/उद्यम/राजस्थान कृषि–प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप भाड़ा अनुदान के लिए पत्र होगे।
2. योजना की अधिसूचना के बाद व्यापार/निर्यात किया जायेगा। पूर्व की अवधि में व्यापार एवं निर्यात इस योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए पात्र नहीं होगे।
3. योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के श्रेणी के उत्पादों के लिए भाड़ा अनुदान देय होगा।
4. भाड़ा अनुदान केवल राजस्थान राज्य के उत्पादों पर ही दिया जायेगा और इस आशय का प्रमाण आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
5. जैविक उत्पादों के लिए उच्च भाड़ा अनुदान केवल प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए एवं अनुदान आवेदन के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
6. भाड़ा अनुदान योजना के दिशानिर्देशों के शीर्षक व उपशीर्षक में सम्मिलित नहीं किये गये उत्पादों पर कोई भाड़ा अनुदान देय नहीं होगा।
7. यदि उद्यम राज्य की किसी अन्य योजना में भाड़ा अनुदान का लाभ उठा रहा है तो इस योजना के तहत उसी खेप (Consignment)के लिए अनुदान का हकदार नहीं होगा।
8. सभी उद्यमी/प्रमोटर योजना में लागू विधिक प्रावधानों नियमों का पालन करने एवं संबंधित अधिकारियों के अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के साथ–साथ व्यापार का संचालन करने/खेपों का बीमा करानें के लिए जिम्मेदान होगे। उद्यमी द्वारा किसी भी विधिक प्रावधान/नियम के रा.रा.कृ. वि.बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
9. निर्यात के 3 माह या बैंक रियेलाईजेशन प्रमाण–पत्र जारी करने के 3 माह बाद जो भी पहले हो की अवधि में आवेदन प्रस्तुत करना होगा विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. घरेलू व्यापार के मामले में माल भेजने के 3 माह में आवेदन प्रस्तुत करना होगा, विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अनुदान के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।
11. यदि लाभार्थी के बैंक खातें में कोई परिवर्तन होता है तो परिर्वतन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नये खाते की सूचना के साथ रद्द चैक प्रस्तुत करना होगा इस नीति को लागू करने की प्रकियान्तर्गत आवेदक की भूल के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर या इस संस्था का कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा।
12. व्यापार से जुड हुए दस्तावेंजो की सत्यता का पता लगाने के लिए रा.रा.कृ.वि.बोर्ड या किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रेण्डम निरीक्षण किया जा सकता है।
13. यदि यह पाया जाता है कि तथ्यो को गलत तरीके से प्रस्तुत कर अनुदान का दावा प्राप्त किया गया है तो प्रोमोटर उद्यमी/प्रमोटर परियोजना के अनुदान को वापिस करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस आशय का शपथ पत्र उद्यम प्रमोटर द्वारा अनुदान दावा आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
14. योजना के दिशानिर्देशो की शर्तो की सरकार द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम होगी। योजना की किसी भी अवधि और शर्त को संशोधित करने, जोड़ने और हटाने का अधिकार सरकार में निहित है इसलिए बिना कोई कारण निर्दिष्ट किये किसी भी प्रावधान को प्रतिबन्धित/लागू कर सकती है।
15. योजना के अन्तर्गत आवेदन अनुदान की गारण्टी नहीं है इस संबंध में एकलस्वामी/उद्यमी प्रमोटर के अनुदान संबंधीअ अधिकार सृजित नहीं होते है। यह फण्ड की उपलब्धता योजना की निरन्तरता एवं राज्य सरकार/विभाग के विवेकाधीन है, जिसमें राजस्थान सरकार बिना किसी सूचना एवं व्याख्या के परिवर्तन कर सकती है।

(द) नीति के बिन्दु संख्या 14 एवं योजना के बिन्दु संख्या 4(द) में वर्णित शेष रहे प्रोत्साहनों एवं वित्तीय सहायता (इन दिशा निर्देशों में दिये गये बिन्दु संख्या (अ), (ब) एवं (स) को छोडकर) के लिए आवेदक को परियोजना प्रस्ताव एवं अन्य संबद्ध दस्तावेजों के साथ आवेदन राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के सदस्य सचिव को प्रस्तुत करना होगा।

सभी सम्बंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि नीति/योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करते समय उक्त दिशा निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना की जावें।

ह0
(ताराचन्द मीना)
प्रशासक

क्रमांकः– प–15(1009) एग्रो.पालिसी/पी.एच.एम/वि.बोर्ड/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव (आर.वी.), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान।
7. निजी सचिव, आयुक्त, उद्यान विभाग, राजस्थान।
8. निजी सचिव, समस्त संभागीय आयुक्त, ...
9. निजी सचिव, समस्त जिला कलेक्टर,.....
10. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
11. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार,.....
13. निजी सचिव, प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
14. निजी सचिव, निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुर
15. निजी सचिव, निदेशक, पशु पालन विभाग राजस्थान।
16. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमि0।
17. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/ कृषि विपणन विभाग/कृषि विभाग/उद्यान विभाग/पशु पालन विभाग।
18. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ...
19. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड.....
20. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड.....
21. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति.....
22. गार्ड फाईल।

ह0
(ताराचन्द मीना)
प्रशासक

नोटः– इन दिशा निर्देशों में उदृत् शब्द, परिभाषा, वाक्य पैरा या अन्यथा वर्णित किसी बिन्दु के अर्थ में संशय/विवाद की दशा में अग्रेजी वर्जन में वर्णित अर्थ ही मान्य होगी।